

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013—आषाढ 7, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

भोपाल, दिनांक 31 मई 2013

क्र. ई.-5-823-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 12 से 18 अप्रैल 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 17 से 18 अप्रैल 2012 तक, दो दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई.-5-731-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई 2013 द्वारा दिनांक 31 मई से 7 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रवीण गर्ग, भाप्रसे (1988) विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

क्र. ई.-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री नीतेश व्यास, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 1 से 7 जून 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2013

क्र. ई.-5-674-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2013 द्वारा दिनांक 15 से 24 जुलाई 2013 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोंसले, अवर सचिव "कार्मिक".

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2013

क्र. एफ-10-63-2001-सत्रह-मेडि-2.—राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रसव पूर्व निदान तकनीक एक्ट, 1994 की धारा 17 (5) के तहत विभागीय आदेश क्रमांक एफ-10-63-2001-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 7 जनवरी 2005 द्वारा गठित सलाहकार समिति को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है:—

विशेषज्ञ (1)	प्रस्तावित नाम (2)
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग मेडिकल कॉलेज भोपाल.
शिशु रोग विशेषज्ञ	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज भोपाल.
पैथालॉजिस्ट	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथालॉजी विभाग मेडिकल कॉलेज भोपाल.

(1)

- (ब) विधि विशेषज्ञ
(स) जनसंपर्क अधिकारी
(द) सोशल वर्कर

(2)

- उपसचिव, विधि विभाग, भोपाल
उप संचालक, जनसंपर्क विभाग
1. डॉ. शालिनी कपूर, मध्यप्रदेश
वालेन्द्री हेल्थ आर्गेनाइजेशन.
2. डॉ. प्रभा देसीकन,
बिटिया संस्था.
3. सुश्री प्रार्थना मिश्रा,
संगिनी संस्था.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को उक्त सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

क्र. एफ 4 (E)-5-2012-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री के. सी. गुप्ता को मध्यप्रदेश राज्य के लिये क्रमशः "श्रमायुक्त" तथा "मुख्य सुलहकार" नियुक्त करता है।

No. F 4 (E) -5-2012-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section (1) of Section 3 and sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) in supersession of all the previous notification in this respect, the State Government hereby appoints Shri K.C. Gupta to be the "Commissioner of Labour" and "Chief Conciliator" respectively for the State of Madhya Pradesh.

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. एफ 24-23-13-ए-सोलह.—चूंकि, लखानी रबर प्रोडक्ट प्रायवेट लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व कारखाना मजदूर यूनियन, पीथमपुर, जिला धार द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक लखानी रबर प्रोडक्ट प्रायवेट लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है।

अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है:—

अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वेतन में वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
2. क्या कार्यरत श्रमिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की राशि में वृद्धि किये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये?
3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को परिवर्तनशील, मंहगाई भत्ता आधार वर्ष 1960-100 से आने वाला प्रति पाईट रु. 2 दिये जाने का औचित्य है?
4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को आवास भत्ता, धुलाई भत्ता, एल.टी.ए. दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
5. क्या संस्थान कार्यरत श्रमिकों को दो जोड़ी पोषाक एवं दो जोड़ी शूज दिये जाने का क्या औचित्य है?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये?

क्र. एफ 24-23-13-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता कारखाना मजदूर यूनियन, पीथमपुर, जिला धार एवं लखानी रबर प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका।

“अनुसूची”

औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/एम.पी.आई.आर./12

No. F 24-23-13-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between Karkhana Mazdoor Union, Pithampur, District

Dhar and Lakhani Rubber Products Pvt. Ltd., Pithampur, District Dhar in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local area of Pithampur, District Dhar.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 3 MPIR/12

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमारे, उपसचिव.

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ-1-14-2013-छब्बीस-1.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु समग्र पुनर्वास नीति बनाने एवं वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित बिन्दुओं पर विचार करने हेतु गठित राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग में श्री व्ही. जी. धर्माधिकारी (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.) को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

उक्त आदेश के संदर्भ में राज्य शासन, एतद्वारा, अध्यक्ष, राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग की सेवा शर्तें एवं अन्य सुविधायें निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

क्रमांक	सुविधा का नाम	देय सुविधायें
(1)	(2)	(3)
1	मानदेय एवं सत्कार भत्ता	रुपये 13,000/- प्रतिमाह
2	यात्रा/दैनिक भत्ता	राज्य शासन के “ए” के श्रेणी के अधिकारी की भांति.
3	वाहन	1
4	वाहन चालक	1
5	पेट्रोल सीमा	120 लीटर प्रतिमाह
6	यात्रा सुविधा	वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी.
7	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.
8	निजी स्टाफ	निजी सचिव-एक निज सहायक-एक भृत्य-एक
9	दूरभाष	कार्यालय-एक निवास-एक

(1)	(2)	(3)
10	दूरभाष व्यय सीमा	रुपये 30000/- प्रतिवर्ष प्रति दूरभाष (किराया छोड़कर).
11	किराये के आवास की सुविधा.	रुपये 20,000/- प्रतिमाह

नोट.—किराये का वाहन होने की स्थिति में किराये की गणना भी 120 लीटर प्रतिमाह के मान से होगी.

3. उपरोक्त सेवा शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-18-2010-नियम-चार, दिनांक 10 अगस्त, 2011 एवं 29 फरवरी 2012 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे अध्यक्ष एवं सदस्य जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है, की पेंशन का समायोजन उनके मानदेय राशि के विरुद्ध हो सकेगा, देय होगा.

उपरोक्त सेवा शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. खण्डाते, अवर सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

क्र. एफ-02-08-05-चौवन-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियम 53-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री रुस्तम सिंह, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का कार्यकाल दिनांक 19 मई 2013 से 18 मई 2014 तक एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जून 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 05).—राज्य शासन, श्री अमित नगायच पिता श्री रघुवीर प्रसाद नगायच को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण

करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है. उसकी जन्मतिथि 6 जून 1983 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 24).—राज्य शासन, श्री समीर कुमार मिश्रा पिता श्री उमेश चन्द्र मिश्रा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बलिया (उ.प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 2 अगस्त, 1985 है.

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्र. 94).—राज्य शासन, सुश्री रेनु खेस पिता श्री अरूण कुमार खेस को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 7 मार्च, 1988 है.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

फा. क्र. 17(ई)3-2002-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना की सेवाएं संचालक, लोक अभियोजन, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

फा. क्र. 17(ई)31-2013-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, कुमारी संगीता भारती, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मन्दसौर की सेवाएं मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

फा. क्र. 17 (ई)56-2006-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन श्री शंकरलाल पाटीदार, अधिवक्ता, जावरा को नोटरी व्यवसाय करने हेतु दिनांक 13 अप्रैल 1983 को नोटरी प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनका दिनांक 16 नवम्बर 2011 को स्वर्गवास हो जाने से आदेश जारी होने के दिनांक से तहसील जावरा, जिला रतलाम में नोटरी व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजी रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 60-2012-ब-2-दो.—श्री दीपक वर्मा, भापुसे, (2004) पुलिस अधीक्षक, हरदा को दिनांक 13 से 29 जून 2013 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में भारत भ्रमण के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एवं वैष्णव देवी की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री दीपक वर्मा	—	स्वयं
2. श्रीमती रंजना वर्मा	—	पत्नी
3. तन्मय वर्मा	—	पुत्र
4. तन्शी वर्मा	—	पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री अनुराग, भापुसे, को सत्रह दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 111-1993-ब-2-दो.—(1) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध एवं अ.अ.वि., जबलपुर को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार गृह जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) की गृह नगर अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव	—	स्वयं
2. श्री मनु श्रीवास्तव	—	पति
3. कु. अयानी	—	पुत्री
4. कु. समावी	—	पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, महिला, अपराध एवं अ.अ.वि., जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दस्यु उन्मूलन अभियान, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 14 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 118-1990-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मार्च 2013 द्वारा श्री टी. के. घोष, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर को दिनांक 18 मार्च से 6 अप्रैल 2013 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16, 17 मार्च 2013 एवं 7 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृहनगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की यात्रा के तहत सपत्नीक “मनाली (हिमाचल प्रदेश)” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. के. घोष, भापुसे, को पुनरीक्षित तिथि दिनांक 28 मार्च से 12 अप्रैल 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13, 14 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

3. समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मार्च 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ-1(ए) 24-1977-ब-2-दो.—श्री नंदन दुबे, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 18 से 25 जून 2013 तक, सात दिवस आकस्मिक अवकाश (दिनांक 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ) की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत “मनाली” अवकाश

यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री नंदन दुबे	—	स्वयं
2. श्रीमती उषा दुबे	—	पत्नी
3. कु. अर्चिता दुबे	—	पुत्री
4. श्री वत्सल दुबे	—	पुत्र

क्र. एफ-1(ए) 274-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री के. एल. मीणा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष अभियान, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2013 तक, कुल सात दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 14 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. एल. मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 162-1994-ब-2-दो.—(1) श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 जून 2013 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आदर्श कटियार, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री जे. एस. संस्वाल, भापुसे, पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आदर्श कटियार, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आदर्श कटियार, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदर्श कटियार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 58-2012-ब-2-दो.—डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शिवपुरी को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक तेरह दिवस दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में परिवार के निम्नलिखित

सदस्यों के साथ लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर की अवकाश यात्रा की अनुमति तथा 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार	—	स्वयं
2. श्रीमती मंजू	—	पत्नी
3. श्री मयंक	—	पुत्र
4. कु. मयूना	—	पुत्री

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 195-91-ब-2-दो.—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2012 में त्रुटिवश अंकित श्री विजय कुमार कटारिया, भापुसे (1990) पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल के स्थान पर श्री विजय कटारिया, भापुसे (1990), पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल पढ़ा जाये।

2. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 7-2012-ब-2-दो.—(1) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम जोन-1), इन्दौर को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक तेरह दिवस का पितृत्व अवकाश दिनांक 15, 16 एवं 30 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, का कार्य श्री विनय प्रकाश पाल, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम जोन-2), इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम जोन-1), इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम जोन-1), इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

क्र. एफ. 3-45-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-45-2012-बत्तीस, दिनांक 11 अक्टूबर 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम बंजली	50/1	9.80	कृषि	आवासीय शर्तें-भूमि के अक्स में कई सार्वजनिक मार्ग अंकित हैं. उक्त मार्गों का यथावत समावेश करते हुए अभिन्यास तैयार किये जाये.

योग . . 9.80

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत रतलाम विकास योजना, 2011 का भाग मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ 5-17-2012-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वनभूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा, इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जावे के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे :—

अनुसूची

जिला—रतलाम, तहसील—पिपलोदा, वनमण्डल—सामान्य वनमण्डल, रतलाम, वनपरिक्षेत्र—सैलाना

क्र.	वनखंड का नाम	वन या बंजर भूमि का नाम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संरक्षित वनखण्ड उपरवाड़ा.	ग्राम उपरवाड़ा	905/1/1	39.59	उत्तर—नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 44 से 52 तक एवं निजी भूमि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पूर्व—नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 52 से 24 तक एवं निजी भूमि.
					दक्षिण—नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 24 से 30 तक एवं निजी भूमि.
					पश्चिम—नई सीमा रेखा का मुनारा क्र. 30 से 44 तक एवं निजी भूमि.

संक्षिप्त विवरण

पलसोड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग से हस्तांतरित गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त हुई.

वनीकरण का कारण

पलसोड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग से हस्तांतरित गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त हैं जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोपण कैम्पा मद से किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ-5-17-2012-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-17-2012-दस-3, दिनांक 19 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal the 19th June 2013

No. F. 5-17-2012-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government here by declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest land/waste land Specified in the Schedule below subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time :—

SCHEDULE

District—Ratlam, Tehsil—Piploda Forest Division—Ratlam (T) Range Sailana

S. No.	Name of the Forest Block	Name of the Forest or Waste land	Survey No.	Area (in Hectare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Protected Forest Block Uparwada	Village Uparwada	905/1/1	39.59	North — New Demarcation Line Pillar No. 44 to 52 & Private Land. East — New Demarcation Line Pillar No. 52 to 24 & Private Land.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					South—New Demarcation Line Pillar No. 24 to 30 & Private Land.
					West—New Demarcation Line Pillar No. 30 to 44 & Private Land.

Brief Description

The non forest land has been transferred from the Revenue Department to the Forest Department for Compensatory Afforestation under Palsodi Wind Energy Scheme.

Reasons for Afforestation

The non forest land has been transferred from Revenue Department to the Forest Department for Compensatory Afforestation under Palsodi Wind Energy Scheme the Compensatory Afforestation is being done using CAMPA fund.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASHANT KUMAR, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. एफ. 67-44-12-तीन-603.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-“क” के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित

अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् “डही” जिला धार के आम निर्वाचन में श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** को कारण बताओ सूचना-पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29 दिसम्बर 2012 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र तामीली पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 14 मार्च 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित हुईं। अभ्यर्थी **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** ने उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। अपने आवेदन में अभ्यर्थी **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** ने अंकित किया है कि “पारिवारिक कठिनाईयों के कारण मनस्थिति ठीक नहीं थी। ग्रामीण परिवेश के कारण आयोग के निर्देशों को समझ नहीं पाई इस कारण व्यय लेखा नहीं दे पाई अतः प्रथम भूल होने के कारण अभ्यर्थी ने क्षमा चाही है”।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** द्वारा नियत समयावधि में मूल निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती गीता देवेन्द्र सिंह सोलंकी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् “डही” जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. एफ. 67-44-12-तीन-604.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-“क” के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य

है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् “डही” जिला धार के आम निर्वाचन में सुश्री रंजना पति भायसिंह अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक सुश्री रंजना पति भायसिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रंजना पति भायसिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रंजना पति भायसिंह को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ सूचना-पत्र में सुश्री रंजना पति भायसिंह से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी सुश्री रंजना पति भायसिंह को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री रंजना पति भायसिंह को कारण बताओ सूचना-पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/

अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29 दिसम्बर 2012 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी **सुश्री रंजना पति भायसिंह** द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र तामीली पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 14 मार्च 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी **सुश्री रंजना पति भायसिंह** उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित हुईं। अभ्यर्थी **सुश्री रंजना पति भायसिंह** ने उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में अभ्यर्थी **सुश्री रंजना पति भायसिंह** ने अंकित किया है कि "ससुर की मृत्यु होने के कारण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाईं। ससुर का मृत्यु प्रमाण-पत्र डाक से भिजवाने का लेख किया।" लेकिन अभ्यर्थी के ससुर का मृत्यु प्रमाण-पत्र दो दो माह व्यतीत होने के उपरान्त भी आज दिनांक तक आयोग को प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री रंजना पति भायसिंह** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री रंजना पति भायसिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद डही जिला धार** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश)

छतरपुर, दिनांक 5 मई 2013

क्र. 207-एस.सी.-2-2013.—छतरपुर जिले में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिक ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावें।

अस्तु, मैं, राजेश बहुगुणा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर (म. प्र.) आपत्तिजनक हैजा/ज्वर/आंत्रशोध विनियम 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ तथा यह आदेश देता हूँ कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपाहारगृहों, भोजनालाओं, होटलों, जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

1. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, व सड़े गले फल, सब्जियों, दूध, दही उबली हुई चाय, कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी।
2. बासी मिठाईयों व नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियां, उबली हुई चाय, शर्बत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे। उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस पर रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव आयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें।

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार भवन, दुकान स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सकें स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो उन अस्वास्थ्य कारण दूषित अनुपयुक्त के अधिग्रहण करने, हटाने, नष्ट करने ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिए जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सकें, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों का प्राधिकृत करता हूँ, जो पृथक्-पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे:—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी।
2. जिले में ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेदिक, औषधालय।

3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत . . . (सर्व).
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, . . . (सर्व) जिला छतरपुर, म. प्र.

राजेश बहुगुणा, कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, श्रम उपसंभाग अनूपपुर, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश)

अनूपपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्र. नवम-श्र.उ.सं.अ.-2012-199.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ-14-(ई)-6-98-ए-सोलह, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अन्तर्गत प्राधिकृत मैं, श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी, अनूपपुर अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ (1) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ (2) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूँ. जो कि अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी:—

क्र.	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(1)	(2)	(3)
	स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम	साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13 (1)
1	पसान नगरपालिका	शनिवार

नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं नगरपालिका परिषद् के चारों ओर 03 किलोमीटर तक की परिधि में यह बन्द दिन प्रभावशील होगा.

संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डी, जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश) विदिशा, दिनांक 4 जून 2013

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2013-9950.—कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक-क्यू-ए.पी.डी.-4484-85, दिनांक 12 मार्च 2013 द्वारा श्री भगवानदास अहिरवार, नि. लोहांगी रोड विदिशा का नाम मा. श्री हरिसिंह रघुवंशी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा के

प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा में नाम निर्दिष्ट किया गया था को मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, उक्त नाम को एतद्वारा विलोपित करता हूँ.

क्र. क्यू-ए.पी.डी.-2013-9952.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति बासौदा में सदस्य के रूप में निर्मांकित नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है.	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जगदीश मैना, नि. ग्राम मौरोदा, तह. गंजबासौदा, जिला विदिशा.	मा. श्री हरिसिंह रघुवंशी, विधायक, विधानसभा क्षेत्र गंजबासौदा/ग्यारसपुर.	1972 की धारा 11 (5).

आनन्द कुमार शर्मा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-रीवा (मध्यप्रदेश)

रीवा, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 192-मण्डी-2013.—कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के उपबंधों के अधीन रीवा जिले की मण्डी की सहकारी विणन सोसायटी की प्रबन्ध कार्यकारणी समिति द्वारा राज्य सरकार की कृषि विभाग से श्री आर. बी. पाण्डेय, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (बेहड), रीवा को कृषि विभाग का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है.

क्र. 194-मण्डी-2013.—कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के उपबंधों के अधीन श्री महावली गौतम अध्यक्ष, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक रीवा को बैंक परिक्षेत्र में आने वाली मण्डियों क्रमशः रीवा, बैकुण्ठपुर, चाकघाट, हनुमना के लिये जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है.

एस. एन. रूपला, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला कटनी

कटनी, दिनांक 17 जून 2013

क्र. मण्डी निर्वाचन-2012.—मण्डी समितियों के निर्वाचन 2012 सम्पन्न होने के फलस्वरूप जिले की स्तम्भ (2) में उल्लेखित, कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी में मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) खण्ड (ड), (च), (ज), (झ), (ञ) के अनुसार सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट होने की स्थिति में मण्डी समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्तम्भ (3) में उल्लेखित नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों को, मैं, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला-कटनी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 5 के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का क्र. व का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों का नाम व पद	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधियों के पिता का नाम व पता	संस्था का नाम, जिनकी ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कटनी-193, कृषि उपज मण्डी समिति कटनी.	श्री एस. के. शर्मा, सहा. संचा. कृषि	श्री रामप्रबोध शर्मा, निवासी पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी कटनी.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, कटनी.
2	—तदैव—	श्री राजेश लहंगेर, सदस्य जिला पंचायत, कटनी.	श्री नेतराम लहंगेर, निवासी रीठी.	अध्यक्ष जिला पंचायत, कटनी
3	—तदैव—	श्री प्रदीप वैश्य, सदस्य सहकारी विपणन, सोसायटी कटनी.	श्री एम. पी. वैश्य, निवासी सिविल लाईन, कटनी.	सककारी विपणन सोसायटी कटनी.
4	—तदैव—	श्री शैलेन्द्र शुक्ला, भूमि विकास बैंक (जि.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक)	स्व. श्रीरुद्र प्रसाद शुक्ला, निवासी लाल नगर कैमोर, तह. वि. गढ़.	भूमि विकास बैंक (जि.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक)
5	—तदैव—	श्री रूद्रदत्त गर्ग, प्रभारी शाखा प्रबंधक.	श्री दुर्गा प्रसाद गर्ग, निवासी पाठक वार्ड, कटनी.	जि.सह. के. बैंक मर्या. शाखा कटनी.

ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वा.).

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 4201-3626-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 के सूचना तथा कार्यक्रम में केवल निम्न विषयों के दिनांक में संशोधन किया जाता है, शेष विषयों के प्रश्न-पत्र पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 27 मई 2013 अनुसार ही रहेंगे:—

क्र.	प्रश्नपत्र क्र.	प्रश्नपत्र	पूर्व दिनांक	नवीन दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	09	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	5-8-2013	6-8-2013
2	14	प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	6-8-2013	7-8-2013
3	21	प्रश्नपत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	7-8-2013	6-8-2013

(2) दर्शाए गये प्रश्न पत्रों का समय पूर्वा अनुसार ही रहेगा, समय सारणी में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 1 मई 2013

प्र. क्र. 11-अ-82 वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-2013-पत्र क्र. 305-306.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नरसिंहपुर	गाडरवारा	सलगापुर प. ह. नं. 82, नं. बं. 430.	0.188	कार्यपालन यंत्री, रा. अ. बा. लो. सा. नहर संभाग क्र. 1, करेली.	कल्याणपुर माईनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 मई 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-13-441.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	तिंधारी	198	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी जिला शिवपुरी. (म. प्र.)	महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दांयी तट नहर की उपशाखा क्रमांक 8 एल के निर्माण कार्य हेतु.
			199	0.07		
			200	0.04		
			201/2	0.02		
			202	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			203	0.06		
			204	0.04		
			205	0.03		
			206	0.05		
			207	0.05		
			208	0.07		
			209	0.03		
			210	0.05		
			211	0.04		
			212	0.03		
			213	0.04		
			214	0.10		
			215	0.09		
			218	0.05		
			219	0.06		
			220	0.05		
			221	0.04		
			222	0.03		
			223	0.03		
			224	0.10		
			225	0.13		
			226	0.02		
			414	0.20		
			1874	0.08		
			1876	0.14		
			1877/1	0.05		
			1933	0.05		
			1935	0.10		
			1968	0.02		
			1969	0.10		
			1982	0.28		
			1983	0.10		
			1988	0.01		
			2014	0.08		
			2021	0.09		
			2049	0.21		
			2054	0.11		
			2055	0.06		
			2056	0.15		
			2057	0.10		
			2061	0.11		
			2063	0.12		
			2068	0.19		
			2069	0.17		
			योग	3.95		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 386-भू.अ.अ.-2012-13-प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	सगौनी	2.58 हेक्टर एवं 1 मकान 1 बोर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह.	सगौनी जलाशय निर्माण में छूटी हुयी भूमि एवं 1 मकान 1 बोर का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 2987-भू-अर्जन-2013-प्रकरण क्र. 35-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	आलोट	गुराड़िया नवेली	00.90 00.08 योग . . . 00.98	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रतलाम.	आलोट नल जल आवर्धन योजनान्तर्गत एनीकट, इन्टेकवेल तथा विद्युत् ग्रीड निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 1253-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सहजी	1.88	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1255-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	बहेरा	0.62	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1257-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	खडवडा	2.20	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1259-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	रामनगर कला	2.05	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की रामनगर कला सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ 10-पत्र क्र. 327-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	खरमसेड़ा	20.208	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना, जिला सतना (म.प्र.)	मौहास तालाब योजना के निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जून 2013

क्र. 6482-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-खामी ब.नं.-46 प.ह.नं.-57/44 रा.नि.मं.- अमरवाड़ा-1.	रकबा 0.615 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा.	खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 6483-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली
(1)	(2)	(3)	(4)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बड़ेला ब.नं.-168 प.ह.नं.-61/44 रा.नि.मं.- अमरवाड़ा-1.	रकबा 0.683 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।
			अर्जित की जाने वाली
			प्रस्तावित भूमि के
			सार्वजनिक प्रयोजन
			का वर्णन
			(6)
			खामी बड़ेला जलाशय के
			अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये
			निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 4365-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नंबर का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	बोधिया प.ह.नं. 23 बंदो.नं. 436	0.55	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी.	नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 20 जून 2013

क्र. 4419-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी	सुकरी प.ह.नं. 119	4.20	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह.-चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4420-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी	कोहका प.ह.नं. 119	9.30	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह.-चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4421-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी	कमकासुर प.ह.नं. 8	24.56	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह.-चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	पेंच परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	दरगाय कलौं	1.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 2-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	मोहनगढ़	केशरमढ़	5.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	टीलादांत तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 12 जून 2013

प्र. क्र. 12-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	सतपाड़ा हाट	0.900	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
			योग . . 0.900		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है

प्र. क्र. 13-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	जामनपुर	5.826	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
			योग . . 5.826		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	बबचिया	2.800	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	2.800		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	रजोदा	1.170	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	1.170		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	तोफाखेड़ी	1.100	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	1.100		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	अमरपुर	4.258	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	<u>4.258</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	खजूरी	4.468	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		शमशाबाद	योग . . <u>4.468</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	भैरोंबाग	5.313	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	संजय मध्यम सागर बाह सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	<u>5.313</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	पिपलधार	7.630	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	<u>7.630</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	बेरखेड़ी घाट	1.317	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
		योग . .	<u>1.317</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 जून 2013

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	रतनपारा	8.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	मढ़ा	15.000	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	रनमऊ	5.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	कटिया	3.000	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	शहपुरा (बीरान)	4.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 24 मई 2013

प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—बड़ौदा

(ग) ग्राम—पिपलिया विजय

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 3.67 हेक्टर.

खसरा सर्वे क्षेत्रफल जो अर्जन होना है

क्रमांक (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

647/1

0.04

647/2

0.04

647/3

0.04

651

0.15

644

0.01

654

0.02

636

0.04

637

0.05

638

0.04

625/1

0.07

640

0.04

624

0.01

623

0.01

597

0.01

598

0.04

599

0.01

600 मि.

0.01

588

0.03

589 मि. 3

0.01

601

0.10

586/1

0.04

586/2

0.05

587

0.05

559 मि.

0.07

1523

0.02

517

0.18

518

0.02

520

0.01

(1)

(2)

544

0.04

522

0.11

542

0.03

707

0.07

1396

0.01

705

0.1

1395

0.01

1398

0.01

1399

0.03

1397

0.01

1400

0.06

1405

0.02

1414

0.13

1413

0.01

1417/1

0.04

1417/2

0.03

1418

0.01

1419

0.01

1429

0.02

1427

0.1

1428

0.09

1520

0.08

1439

0.05

1444

0.01

1441

0.01

1440

0.04

1438

0.01

1454

0.11

1445

0.01

1455

0.1

635

0.01

1436

0.01

1420

0.03

1347

0.04

1423 मि.

0.02

1363

0.04

1423 मि.

0.02

1424

0.09

1362

0.09

1346

0.01

1345

0.02

1495 मि.

0.01

1494 मि.

0.04

1496

0.01

1343

0.12

1495 मि.

0.01

1517

0.01

1525

0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1522	0.01	39/2	0.012
1523	0.04	48/1 ख	0.016
1519	0.07	39/3	0.008
1528	0.05	40	0.028
1588	0.01	41	0.121
1531	0.22	42	0.036
1533	0.11	46/1	0.093
	योग . . . 3.67	53/1	0.036
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.		46/2	0.089
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी आगर बड़ौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.		53/2	0.036
		54/2	0.016
		54/1	0.012
		55	0.105
		58	0.028
		63/4	0.368
		योग . . .	1.153

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्र. 4238-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—कोतमा
(ग) ग्राम—झिरोखा, सिलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.460 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
50	0.032
38	0.093
39/1	0.012
48/1 क	0.016

ग्राम—झिरोखा

50	0.032
38	0.093
39/1	0.012
48/1 क	0.016

ग्राम—सिलपुर

289	0.016
295	0.085
536/2 क	0.073
293/1	0.004
532	0.024
293/2	0.004
303/1 क	0.024
303/1 ख	0.024
303/2	0.032
302	0.008
301/1 ख	0.012
योग . . .	0.307
महायोग . . .	1.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—झिरोखा जलाशय नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 4239-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—अनूपपुर

- (ग) ग्राम—धनगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.427 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—धनगवां	
784/1	0.111
784/2	0.111
391	0.022
826/1	0.078
889/1	0.036
889/2	0.035
889/3	0.034
योग . .	<u>0.427</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—धनगवां जलाशय नहर कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

अनूपपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 4411-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
(ग) ग्राम—पड़रिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.713 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—पड़रिया	
6/1	0.109
7/1	0.122
181/1	0.110
181/2	0.054
183	0.070
194	0.050
195	0.050
160	0.054
144/1	0.094
योग . .	<u>0.713</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—कुम्हरवार जलाशय नहर कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 4 जून 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13-482.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—बालाकोट, प.ह.नं. 18/25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.26 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
486/3	0.26
योग . .	<u>0.26</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बालाकोट जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के कार्य हेतु अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13-483.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—दमोह

(ग) ग्राम—घाट पिपरिया, प.ह.नं. 35/48

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.37 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
274	0.19
412	0.18
योग . .	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बैराज कम स्टापडेम घाट पिपरिया के कार्य हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 6 जून 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज

(ग) नगर/ग्राम—रहटवास, सहका, सागोनी, गुसाई एवं ध्वाज.
(घ) लगभग क्षेत्रफल— . . . हेक्टेर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
ग्राम—सहका		
130, 131/1	0.133	
130, 131/2/1	0.202	0.333
130, 131/2/2	0.405	
128/1	0.139	0.041
128/2	0.202	
129/1/1	0.505	
129/1/2	0.214	0.145
129/2	2.023	
133, 134/1	1.999	0.607
116/1	0.405	0.129
116/2	0.632	0.178
117	3.443	0.341
37/1/1	0.373	
37/1/2	0.234	0.061
37/2	0.603	
21	0.805	0.121
19	0.308	0.009
20	0.498	0.202
13, 14/1	0.991	
13, 14/2	0.793	0.303
12/1	0.454	
12/2	1.737	0.303
9/1	0.833	0.125
16	0.773	0.121
118	0.336	0.113
119	0.543	0.057
18/1	0.979	
18/2/1	1.395	0.041
18/2/2	0.045	
120/1	0.976	
120/2	0.405	0.032
121	0.619	0.072
123/1	0.045	
123/2	0.619	0.072
113, 115/1	0.405	
113, 115/2	0.445	0.264
113, 115/3	0.462	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
108, 109/1	0.226		382/1	0.809	0.092
108, 109/2	0.230	0.130	388/2		
106	0.210		380/1/1	1.760	
90	1.874	0.202	381/1/2	1.413	0.583
107	0.210		380/2	3.169	
104/1	0.380		453/304/1	0.348	0.053
104/2	0.425	0.320	453/304/2	0.348	
103/1	2.987	0.352	304/1	0.696	0.081
103/2/1	1.133	0.113	304/2	0.696	
103/2/3	1.138	0.303	305/1/1	0.295	
146	0.238	0.049	305/1/2	0.295	
147/1/1	0.061		305/2	1.619	0.464
147/1/2	0.061	0.073	305/3/2	1.214	
14/2	0.247		305/3/1	1.967	
101/2	0.263	0.021	306/1	1.149	0.299
149	0.231	0.061	306/2	2.023	
98	0.638	0.202	318	1.364	0.141
97	0.705	0.061	316	2.582	0.303
96/2/1	0.109	0.069	312	0.316	0.133
96/2/2	0.057		144/1	0.283	
18/1	0.979		144/2	2.100	0.625
18/2/1	1.395	0.090	144/3	1.234	
18/2/2	0.045		145	0.125	0.008
	ग्राम—ध्वाज		152	0.304	0.081
387	1.530		153	4.274	0.455
388	0.628	0.586	150	2.784	0.577
386/1/1	0.227		176	0.607	0.009
386/1/2	0.101		169	5.901	0.634
386/2/1	0.081	0.129	168/1	1.214	
386/2/2	0.125		168/2/1	1.834	0.242
386/2/3	0.131		168/2/2	1.094	
377/1/1	1.489		178	5.852	0.616
377/1/2	1.444		179	0.567	0.073
377/1/2/2	0.708	0.154	182/1/1	1.433	
377/2/1/1	0.830		182/1/2	1.972	
377/2/1/2	1.307		182/2/1/1	0.506	
377/1/2/3	1.019		182/2/1/2	0.506	0.699
377/2/2/2	0.336		182/1/1/3	0.506	
377/2/2/1	0.473		182/1/1/4	0.506	
436/392	0.032	0.024	182/2/2	2.570	
381	0.186	0.271	191	1.931	0.121
			192	0.219	0.121

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
193/1/1	0.101		243/1	2.460	0.261
193/1/2	0.101		243/2	6.511	
193/2/1	0.101		432/178	0.417	0.024
193/2/2	0.101	0.261	169	5.901	0.213
193/2/3	0.101		168/1	1.214	
193/2/4	0.101		168/2/1	1.834	0.165
193/3	1.214		168/2/2	1.094	
306/1	1.149		178	5.852	0.165
306/2	2.023	0.161			
302/1	0.712				
302/2	0.809	0.165	306	0.142	0.032
285/1/1	1.238		127, 303	1.250	0.153
285/1/2	0.364		128	1.734	0.396
285/2	3.237	0.360	129	0.105	0.065
285/3/1	0.405		130	0.745	0.174
285/3/2	1.214	0.115	131/1	0.393	0.291
285/4	1.619	0.137	131/2	0.393	
286/1	2.134	0.177	299	0.902	0.049
286/2	0.816		132, 133/1	0.983	
293/1	0.235		132, 133/2	0.987	
293/2	2.270	0.283	132, 133/3	0.987	0.646
293/3	0.142		133/4	0.983	
287/2	1.623	0.121	133/5	0.453	
291	0.704	0.089	70, 71, 72, 73,	1.599	
209/1	0.210		141-142/1		
209/2/1/1	0.405		70, 71, 72, 73	1.598	
209/2/1/2	0.283		141-142/3		0.788
209/2/2	0.526	0.493	70, 71, 72, 73	1.594	
209/3/1	0.920		141-142/3		
209/3/2	0.699		70, 71, 72, 73	1.598	
208/1/1	0.068		141-142/4		
208/1/1/2	0.943		69	0.874	0.186
208/1/2	0.607		67	0.263	0.057
208/2/1	0.405	0.081	68	2.007	0.234
208/2/2/1	0.405		64	0.101	0.032
208/2/2/2	0.385		63/1	0.093	0.041
211	1.149	0.161	63/2	0.073	
212/2	2.108	0.081	62/1/1	0.194	
222/1	0.405		62/1/2	0.210	
222/2	0.223	0.161	62/2/2/1	0.341	0.396
222/3	0.627		62/2/2/2	0.342	
			62/2/1	0.405	
			66	0.198	0.089

ग्राम—सागोनी गुसाई

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
356/161/1	0.142		295/1	1.675	
356/161/2	0.045	0.049	295/2	1.671	0.117
160, 173-202/1	10.400		288	4.691	0.222
160, 173-202/2/1	1.530	0.607	289	2.493	0.243
160, 173-202/2/2	8.855		334/1/1/1/2	0.607	
162/1	0.069	0.009	334/1/1/2	0.809	0.255
162/2	0.073		334/1/2	0.728	
163	0.219	0.049	334/2	0.405	
168	0.186	0.032	336	1.380	0.016
169	0.125	0.009	337	3.286	0.259
172	0.061	0.009	338	0.934	0.009
174	0.150	0.041	339	3.524	0.259
175	0.210	0.009	348/1	0.154	
179	0.829	0.137	348/2/1	0.352	
178	0.223	0.061	348/2/2	0.251	0.073
183	0.263	0.069	348/3	0.555	
192/1	0.028		348/4	0.161	
192/2	0.162	0.045	346	1.846	0.137
24	0.097	0.016	132, 133/1	0.983	
23/1	0.158		132, 133/2	0.987	0.105
23/2/1	0.093		132, 133/3	0.987	
23/2/2	0.093	0.041	133/4	0.983	
23/3	0.093		133/5	0.453	
21, 22/1	0.219		ग्राम—रहटवास		
21, 22/3	0.214		120-122/1	2.545	0.370
21, 22/2	0.207	0.186	120-122/2	2.546	
21, 22/4/1	0.114		124-125/1	2.000	0.435
21, 22/4/2	0.110		124-125/2	2.546	
19	0.097	0.006	139/1	2.023	
10	0.227	0.016	139/2	2.201	
12/1	0.129	0.041	139/3/1	2.056	0.405
12/2	0.206		139/3/2	0.518	
6/1	0.809	0.421	138	0.700	0.153
6/2	1.699		137	2.719	0.157
7/1	1.275	0.129	136	0.559	0.226
7/2	0.222		135	0.934	0.069
136/1	1.558	0.202	145	0.947	0.177
136/2	1.214		150	1.141	0.157
134, 135/1	1.578	0.121	151/3	0.809	0.214
134, 135/2	2.033		303/150	0.672	0.121
			155	1.615	0.090

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
170	1.315	0.113	21/1	0.053	
171	1.534	0.243	21/2	1.080	0.161
162	0.813	0.226	21/3	1.015	
163	0.628	0.024	282	2.387	0.243
67/1	2.598		281	0.709	0.041
67/2	1.214	0.809	127, 280/1	1.214	
67/3	1.618		127, 280/2	1.214	0.481
69-79/1	1.214	0.162	127, 280/3	3.658	
69-79/2	1.048		155/1/1	0.729	0.245
70	1.177	0.065	255/1/2	1.214	
61/2	0.939	0.243	255/2	1.886	0.020
61/3	2.153	0.073	251/2/1	0.959	0.161
60	2.861	0.282	251/2/2	2.582	0.206
59/1	0.162		242/2	1.482	0.247
59/2	0.603	0.171	246	0.712	0.053
59/3	0.202		246/2	0.809	0.081
58/1/1	0.348		245/1	0.595	0.065
58/1/2	0.243		247/1	1.044	0.215
58/1/3	0.639	0.169	251/1	1.214	0.021
58/1/4	0.842		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सेमरी नहर निर्माण हेतु.		
58/1/5	0.842		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.		
83	0.809	0.057	प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		
84	1.335	0.169			
85	0.259	0.049			
86/2/2	2.238	0.744			
86/2/1	0.809	0.222			
95	1.878	0.142			
10/1	1.377	0.177			
10/2	1.709				
11/1	0.267				
11/2	0.486	0.041			
11/3	0.405				
15/1	0.793				
15/2	2.031	0.518			
15/3	1.449				
16/1	0.170	0.009			
16/2	0.170				
18/1	1.121	0.012			
18/2	0.500				
19/1	0.163	0.133			
19/2	0.776				

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज

(ग) नगर/ग्राम—मरखेडा टप्पा	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल— . . . हेक्टर.	428	0.020	0.020
	432/1	0.161	0.161
	432/2	0.259	0.259
खसरा	433	0.146	0.146
नम्बर	429, 430, 431	6.425	5.376
(1)	488/9	0.566	0.566
(2)	352/1, 353, 354	1.185	1.185
	352/2/1, 353, 354	0.202	0.202
404/2, 405	352/3, 353, 354	2.403	2.403
406	350/1, 350/2	0.656	0.202
434/1	482/344	0.303	0.303
435/1, 435/2/1	379/1, 379/2/1		
434/2	379/1, 379/2/2	3.127	0.324
435/1, 435/2/2	379/1, 379/2/3		
381	379/1, 379/2/4		
398	385/1, 385/2/1		
400	385/1, 385/2/2		
401	385/1, 385/2/3	5.074	0.708
402	385/1, 385/2/4		
403	385/1, 385/2/5		
412/1, 412/2	409/1, 409/2/1		
435/1, 435/2/3	409/1, 409/2/2		
434/3	409/1, 409/2/3	5.805	1.376
404/1, 405	409/1, 409/2/4		
436	409/1, 409/2/5		
434/4	409/1, 409/2/6		
435/1, 435/2/4	352, 353, 354/2/2	0.202	0.202
407	337, 338/3/2/1	0.684	0.684
408			
417			
418			
419			
420, 421			
422			
413			
415			
416			
423			
424			
425			
426			
427			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 1251-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—लदवद कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.69 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लदवद कला माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
111	0.06
110	0.08
49	0.02
50	0.07
107	0.04
108/1, 108/2	0.01
55	0.06
53	0.03
51	0.05
54/1, 54/2	0.02
47, 48/1	0.03
48/2	0.01
45	0.01
43	0.06
20	0.01
17	0.03
19/1, 19/2, 19/3	0.02
18	0.03
15	0.02
14/1 क, 14/1 ख, 14/2	0.01
16	0.02
योग (अ)	0.69

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	निल
महायोग अ+ब	0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लदवद माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1261-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—पहाड़ी चक तेन्दुआ
(घ) क्षेत्रफल —0.510 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
117	0.020
123	0.010
116	0.020
115	0.010
114	0.040
288	0.050
292	0.030
687	0.020
688	0.010
683	0.050
680	0.010
681	0.010
682	0.010
676	0.020
677	0.020
671	0.030
669	0.020
668	0.020
665	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
666	0.010	196	0.05
657	0.010	734	0.01
659	0.010	735	0.05
655	0.020	200	0.01
653	0.010	202	0.02
654	0.010	201	0.03
641	0.010	206	0.02
642	0.010	207	0.02
निजी भूमि (अ) योग . . .	<u>0.500</u>	245	0.03
म. प्र. शासन की भूमि		244	0.01
305	0.010	251	0.03
योग (ब)	<u>0.010</u>	252	0.04
महायोग अ-ब . . .	<u>0.510</u>	250	0.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर		611	0.04
परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. -2 की		666	0.02
पहाड़ी माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी		609	0.05
भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		608	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर		713	0.01
परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		620	0.01
		719	0.03
		607/1, 607/2	0.06
क्र. 1263-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		603	0.06
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		694	0.04
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन		635/1, 635/2	0.05
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक		638	0.01
एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता		642	0.05
है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु		644	0.01
आवश्यकता है:—		665	0.01
		662 जुज, 662 जुज	0.02
		663	0.01
		668 जुज, 668 जुज	0.02
		669	0.02
		670	0.02
		718	0.01
		696/1, 696/2	0.10
		712	0.06
		716	0.02
		657	0.01
		717	0.04
		724	0.01
		725	0.02
		727	0.04

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—कोरौली कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.37 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की अतैरैला सब माईनर के निर्माण हेतु

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण :

195

0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
726	0.01	805/1क, 805/1 ख,	0.02
736	0.02	805/2	
733	0.03	835	0.01
योग (अ)	1.32	834	0.02
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण		833	0.01
205	0.01	876	0.01
605	0.01	877	0.02
633	0.01	878	0.02
634	0.01	883/1, 883/2	0.04
695	0.01	884	0.01
योग (ब)	0.05	927	0.02
महायोग अ+ब	1.37	923	0.01
		924	0.01
		928	0.02
		926	0.07
		885	0.01
		योग(अ)	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. -2 की पमरिया माईनर की अतरैला सब-माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1265-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—वमुरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.34 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की बमुरी कोठार
माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

803	0.03
804	0.01

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

महायोग अ+ब 0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र.-2 की बमुरी माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1267-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल

- (ग) ग्राम—बमुरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.59 हेक्टेयर.

**सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की बमुरी पवाई
माईनर के निर्माण हेतु**

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1	0.02
5	0.03
12	0.010
6	0.060
25	0.010
24	0.030
23	0.020
13	0.010
10	0.020
16	0.010
67	0.020
15	0.030
11	0.060
48	0.040
50	0.010
82	0.030
51	0.020
64	0.030
68	0.010
69	0.060
89	0.030
78	0.010
88	0.010
103	0.010
योग (अ)	<u>0.59</u>

- (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निल	
महायोग अ+ब	<u>0.59</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र.-2 की बमुरी माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 11 जून 2013

क्र. 811.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करौरा
(ग) ग्राम—दांगीपुरा
(घ) कुल क्षेत्रफल—3.63 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में.)	धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
94	0.07	कार्यपालन यंत्री	सिंध परियोजना
95 मिन 1	0.97	सिंध परियोजना	मड़ीखेड़ा
100 मिन 1	0.34	बांध संभाग	बांध निर्माण
119	0.21	मड़ीखेड़ा	हेतु डूबे क्षेत्र.
126	0.18	जिला शिवपुरी.	
117	0.18		
118	0.09		
146 मिन 1	0.47		
128	0.07		
129	0.25		
130	0.17		
132	0.03		
133	0.06		
134 मिन 1	0.12		
135 मिन 2	0.12		
243 मिन 2	0.30		
योग . .	<u>3.63</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 13 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-पूरक-96 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—जमगांव, प.ह.नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.53 हैक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
488/2	1.20
549	0.64
454/2	1.20
456/1	1.73
545 में से	0.21
486 में से	0.69
485 में से	0.14
476 में से	0.10
551 में से	1.28
471 में से	1.34
योग . .	8.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नागदमन जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-पूरक-31 (अ-82)-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—कैलवारा, प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.340 हैक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
236	0.140
269	0.110
262	0.090
योग . .	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नागदमन जलाशय के दांयी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-पूरक-51(अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—अमनीपिपरिया, प.ह.नं. 02/04
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.600 हैक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
327/4	0.150
234	0.280
357	0.100
356	0.040
356/448	0.030
योग . .	0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. भरद्वारा (अमनी) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह,, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2012-13-544.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—दमोह

(ग) ग्राम—लाड़नवाग, धरमपुरा, समन्ना रैयतवारी, मड़िया मनगढ़ा, पिपरिया नायक, कुलुवा (मारूताल), दमोह खास.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.505 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिग्रहण रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

ग्राम—लाड़नवाग

27 मेसे	0.534
26 मेसे	0.104
25/2 मेसे	0.970
24/1 मेसे	0.300
23/1 मेसे	0.400
22 मेसे	0.270
20 मेसे	0.840
121/1,2 मेसे	0.640
190/3	0.280
184/1 मेसे	0.450
183 मेसे	0.520
182/8 मेसे	0.440
182/7 मेसे	0.290

(1)	(2)
172/6 मेसे	0.250
182/10 मेसे	0.030
182/11 मेसे	0.270
177/1 मेसे	0.800
180/2 मेसे	0.550
189/1 मेसे	
189/2 मेसे	
189/4 मेसे	0.720
189/5 मेसे	
189/7 मेसे	
189/8 मेसे	
121/1 मेसे	0.600
187/1 मेसे	0.090
	योग . . . 9.348
ग्राम—धरमपुरा, प.ह.नं. 16	
220/6 मेसे	
220/11 मेसे	
220/16 मेसे	
220/3 मेसे	0.283
220/7 मेसे	
220/12 मेसे	
220/17 मेसे	
220/4 मेसे	
220/1 मेसे	
220/2 मेसे	
220/3 मेसे	
221/1 मेसे	0.445
220/5 मेसे	
220/10 मेसे	
220/15 मेसे	
221/2 मेसे	
220/23 मेसे	

(1)	(2)	(1)	(2)
220/8 मेसे		60/2 मेसे	0.020
220/13 मेसे	0.485	65/1 मेसे	0.173
220/18 मेसे		66 मेसे	0.203
221/15 मेसे		106 मेसे	0.368
200/9 मेसे	0.485	107 मेसे	0.131
220/14 मेसे		110 मेसे	0.624
221/6 मेसे	0.323	111 मेसे	0.248
220/19 मेसे		112 मेसे	0.102
220/21 मेसे		115/2 मेसे	0.057
220/4 मेसे	0.303	115/3 मेसे	0.130
योग . .	<u>2.324</u>	116 मेसे	0.650
		योग . .	<u>3.122</u>

ग्राम—समन्ना रैयत, ह. नं. 8

42/1 मेसे	0.310
42/7 मेसे	0.030
42/8 मेसे	0.040
42/5 मेसे	0.060
45/1 मेसे	0.260
45/2 मेसे	0.400
योग . .	<u>1.100</u>

ग्राम—मडिया पनगढ़ा ह. नं. 10/15,

28 मेसे	0.094
30 मेसे	0.005
31 मेसे	0.020
34/3 मेसे	0.493
32/2 मेसे	1.409
34/4 मेसे	0.030
34/1 मेसे	0.350
योग . .	<u>2.401</u>

ग्राम—पिपरिया नायक

11 मेसे	0.085
12 मेसे	0.096
13/1 मेसे	0.235

ग्राम—कुलुवा मारूताल

1/114 मेसे	0.500
1/115क, मेसे	0.480
1/115 ख मेसे	
1/53 ख, मेसे	
1/65 ख, मेसे	
1/116 ग, मेसे	0.410
1/116 घ, मेसे	
1/137 ख मेसे	
1/53 क मेसे	0.400
1/118 क मेसे	0.090
1/118 ख मेसे	
1/68 मेसे	0.230
1/43, मेसे	0.040
1/71, मेसे	
1/84 घ मेसे	
1/70, मेसे	
1/87, मेसे	1.130
1/88, मेसे	
1/89 मेसे	
1/48 मेसे	0.310
1/49, मेसे	0.400
1/54 मेसे	
1/55 क मेसे	0.220
1/101 मेसे	0.240

(1)	(2)	(1)	(2)
1/75/1, मेसे	0.100	ग्राम—दमोह खास, हल्का नम्बर 16	
1/75/2 मेसे		1423/3 मेसे	0.101
47/55 छ, मेसे	0.120	1423/10 मेसे	0.101
47/55 ट, मेसे		1423/11 मेसे	0.129
47/54 ख/1 मेसे	0.022	1421/5 मेसे	0.857
47/54 ख/2 मेसे	0.026	1421/23 मेसे	0.161
47/54 घ/2 मेसे	0.006	1421/8 मेसे	0.144
47/54 छ/2 मेसे		1421/22 मेसे	0.128
47/54 घ/3 मेसे	0.006	1421/24 मेसे	0.101
47/54 छ/3 मेसे		1417/8 मेसे	0.320
47/54 घ/4 मेसे		1417/10 मेसे	0.041
47/54 च/4 मेसे	0.150	1417/2 मेसे	0.084
47/54 छ/4 मेसे		1418/1, मेसे	0.340
47/101 क मेसे		1421/29 मेसे	
47/101 ख मेसे		1421/4, मेसे	0.181
47/101 ग मेसे		1421/39 मेसे	
47/101 घ मेसे		1418/2 मेसे	0.181
47/101 ङ मेसे		1403/2श/1 मेसे	0.166
47/101 च मेसे		1403/2स मेसे	0.486
47/101 छ मेसे		1403/घ, मेसे	0.222
47/121 मेसे		1403/2छ मेसे	
47/129 मेसे		1403/2र मेसे	0.740
47/130 मेसे		103/2क्ष मेसे	
47/131 मेसे	0.700	1399/6 मेसे	0.301
47/132 मेसे		1399/2 मेसे	0.809
47/133 मेसे		1399/11 मेसे	0.228
47/135 मेसे		1415 मेसे	0.089
47/141 मेसे			योग . . . 5.910
47/142 क मेसे			महायोग . . . 30.505
47/142 ख मेसे			
47/143 मेसे		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दमोह कटनी (एस. एच. 14) बाईपास निर्माण हेतु.	
47/144 मेसे		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, दमोह में व अनुविभागीय अधिकारी, दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
47/57 क मेसे	0.180		
47/54 ङ मेसे			
47/84 मेसे	0.160		
47/44 क मेसे	0.300		
47/44 ख मेसे	0.080		
योग . . .	6.300		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-8-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : डिण्डोरी

जिला : डिण्डोरी

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—मोहतरा	अधीक्षक, भू-अभिलेख
	2. नवीन ग्राम—चुनपथरी प.ह.नं. 202.	(नियमित), जिला-डिण्डोरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-8-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-8-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-8-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the

Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Dindori

District : Dindori

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Mohotra	Superintendent of Land
	2. New Vill.—Chunpathri P.H.No.—202.	Records (permanent), District—Dindori.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-10-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : मंदसौर

जिला : मंदसौर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—डिंगावखुर्द	अधीक्षक, भू-अभिलेख
	2. नवीन ग्राम—गांधी ग्राम प.ह.नं. 28.	(नियमित), जिला मन्दसौर.
2.	1. मूल ग्राम—गुजरदा	
	2. नवीन ग्राम—बुलगढी प.ह.नं. 07.	
3.	1. मूल ग्राम—धारिया खेड़ी	
	2. नवीन ग्राम—गुड़भेली प.ह.नं. 09.	
4.	1. मूल ग्राम—डिंगांवमाली	
	2. नवीन ग्राम—बरडिया खेड़ी प.ह.नं. 48.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
तहसील : सीतामऊ		जिला : मंदसौर	16.	1. मूल ग्राम—अडमालिया 2. नवीन ग्राम—लोड़ाखेड़ा प.ह.नं. 53.	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित) जिला-मंदसौर
5.	1. मूल ग्राम—भगौर 2. नवीन ग्राम—कल्याणपुरा, प.ह.नं. 31.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.	तहसील : शामगढ़		जिला : मंदसौर
6.	1. मूल ग्राम—रहीमगढ़ 2. नवीन ग्राम—चाहखेड़ी प.ह.नं. 41.		17.	1. मूल ग्राम—बधुनिया 2. नवीन ग्राम—सुरावत का खेड़ा प.ह.नं. 33.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.
7.	1. मूल ग्राम—खेताखेड़ा 2. नवीन ग्राम—रायखेड़ा प.ह.नं. 26.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		
8.	1. मूल ग्राम—चिकला 2. नवीन ग्राम—मामादेव प.ह.नं. 32.		भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
9.	1. मूल ग्राम—खत्रुखेड़ी 2. नवीन ग्राम—नयाखेड़ा प.ह.नं. 76.		क्र. एफ 15-10-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-10-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.		
तहसील : दलौदा		जिला : मंदसौर			
10.	1. मूल ग्राम—चोसला 2. नवीन ग्राम—रामनगर प.ह.नं. 24.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.
तहसील : सुवासरा		जिला : मंदसौर			Bhopal, the 26th June 2013
11.	1. मूल ग्राम—बसई 2. नवीन ग्राम—आसपुरा 3. नवीन ग्राम—खड़धामनिया 4. नवीन ग्राम—हरिपुरा प.ह.नं. 01.	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.			F. No. 15-10-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—
तहसील : भानपुरा		जिला : मंदसौर			SCHEDULE
12.	1. मूल ग्राम—अन्तरालिया 2. नवीन ग्राम—गणेशपुरा प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-मंदसौर.	Tahsil : Mandsaur		District :Mandsaur
13.	1. मूल ग्राम—कैथुली 2. नवीन ग्राम—भीमपुरा प.ह.नं. 47.		S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
14.	1. मूल ग्राम—रतनपुरा 2. नवीन ग्राम—नयागांव प.ह.नं. 30.		(1)	(2)	(3)
तहसील : मल्हारगढ़		जिला : मंदसौर	1.	1. Org. Vill.—Degawave- khurd	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.
15.	1. मूल ग्राम—झार्डा 2. नवीन ग्राम—चंदनखेड़ा प.ह.नं. 08.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला-मंदसौर.	2.	1. Org. Vill.—Gujarda 2. New Vill.—Bulgari P.H.No.—07.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
3.	1. Org. Vill.—Dhariakheri 2. New Vill.—Gurbheli P.H.No.—09.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	Tahsil : Malhargarh	15.	1. Org. Vill.—Jharda 2. New Vill.—Chandan- khera P.H.No.—08.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.
4.	1. Org. Vill.—Digaonmali 2. New Vill.—Bardiakheri P.H.No.—48.			16.	1. Org. Vill.—Aramalia 2. New Vill.—Lorakhera P.H.No.—53.	
Tahsil : Seetamau		District : Mandsaur	Tahsil : Shamgarh		District : Mandsaur	
5.	1. Org. Vill.—Bhagor 2. New Vill.—Kalyanpura P.H.No.—31.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	17.	1. Org. Vill.—Baghunia 2. New Vill.—Surawat ka dera P.H.No.—33.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	
6.	1. Org. Vill.—Rahimgarh 2. New Vill.—Chahakheri P.H.No.—41.		By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.			
7.	1. Org. Vill.—Khetakhera 2. New Vill.—Raykhera P.H.No.—26.		भोपाल, दिनांक 26 जून 2013			
8.	1. Org. Vill.—Chikala 2. New Vill.—Mamadev P.H.No.—32.		एफ क्र. 15-13-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—			
9.	1. Org. Vill.—Khatrukheri 2. New Vill.—Nayakhera P.H.No.—76.		अनुसूची			
Tahsil : Daloda		District : Mandsaur	तहसील : गोहद		जिला : भिण्ड	
10.	1. Org. Vill.—Chousla 2. New Vill.—Ramnagar P.H.No.—24.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
Tahsil : Suwasra		District : Mandsaur	(1)	(2)	(3)	
11.	1. Org. Vill.—Basai 2. New Vill.—Aaspura 3. New Vill.—Khardhamnya 4. New Vill.—Haripura P.H.No.—01.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	1.	1. मूल ग्राम—सर्वा 2. नवीन ग्राम—धमसा का पुरा प.ह.नं. 22.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला भिण्ड.	
Tahsil : Bhanpura		District : Mandsaur	2.	1. मूल ग्राम—शेरपुर 2. नवीन ग्राम—पटकुईयापुरा प.ह.नं. 17.		
12.	1. Org. Vill.—Antralia 2. New Vill.—Ganeshpura P.H.No.—18.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandsaur.	3.	1. मूल ग्राम—गुरीखा 2. नवीन ग्राम—लटकनपुरा प.ह.नं. 25.		
13.	1. Org. Vill.—Kaithuli 2. New Vill.—Bhimpura P.H.No.—47.					
14.	1. Org. Vill.—Ratanpura 2. New Vill.—Nayagaon P.H.No.—30.					

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4.	1. मूल ग्राम—चंदोखर 2. नवीन ग्राम—लोहरी का पुरा प.ह.नं. 03.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला भिण्ड.	तहसील : अटेर		जिला : भिण्ड
5.	1. मूल ग्राम—एण्डोरी 2. नवीन ग्राम—सुज्जे का पुरा प.ह.नं. 10.		15.	1. मूल ग्राम—चोम्हो 2. नवीन ग्राम—अंगदपुरा प.ह.नं. 12.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला भिण्ड.
6.	1. मूल ग्राम—भोनपुरा 2. नवीन ग्राम—चिराई प.ह.नं. 12.		16.	1. मूल ग्राम—सौरा 2. नवीन ग्राम—मल्लपुरा प.ह.नं. 09.	
7.	1. मूल ग्राम—देहगांव 2. नवीन ग्राम—जितवारसिंह का पुरा प.ह.नं. 67.		तहसील : गोरमी		जिला : भिण्ड
8.	1. मूल ग्राम—लहचूरा 2. नवीन ग्राम—लहचूरा का पुरा प.ह.नं. 28.		17.	1. मूल ग्राम—हरीक्षा 2. नवीन ग्राम—गढ़ी प.ह.नं. 35.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला भिण्ड.
9.	1. मूल ग्राम—बकनासा 2. नवीन ग्राम—लालन का पुरा प.ह.नं. 14.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव. भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
तहसील : मिहोना		जिला : भिण्ड	क्र. एफ 15-13-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-13-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.		
10.	1. मूल ग्राम—ररीशिकारपुरा 2. नवीन ग्राम—शिकारपुरा प.ह.नं. 11.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला भिण्ड.	Bhopal, the 26th June 2013		
11.	1. मूल ग्राम—विशवारी 2. नवीन ग्राम—देवजू का पुरा प.ह.नं. 17.		F. No. 15-13-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—		
12.	1. मूल ग्राम—असनेहट 2. नवीन ग्राम—अतियन का पुरा प.ह.नं. 22.		SCHEDULE		
तहसील : रौन		जिला : भिण्ड	Tahsil : Gohad		District : Bhind
13.	1. मूल ग्राम—नोधा 2. नवीन ग्राम—नौंधनी प.ह.नं. 16.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला भिण्ड.	S. No.	Name of original Village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
तहसील : भिण्ड		जिला : भिण्ड	(1)	(2)	(3)
14.	1. मूल ग्राम—मृगपुरा 2. नवीन ग्राम—रजपुरा प.ह.नं. 06.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला भिण्ड.	1.	1. Org. Vill.—Sarva 2. New Vill.—Dhamsa ka pura. P.H.No.—22.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Bhind.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2.	1. Org. Vill.—Sherpur 2. New Vill.—Patkuiyapura P.H.No.—17.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Bhind.	Tahsil : Ater		District : Bhind
3.	1. Org. Vill.—Gurikha 2. New Vill.—Latkan ka pura P.H.No.—25.		15.	1. Org. Vill.—Chomho 2. New Vill.—Angadpura P.H.No.—12.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Bhind.
4.	1. Org. Vill.—Chandokhar 2. New Vill.—Lori ka pura P.H.No.—03.		16.	1. Org. Vill.—Soura 2. New Vill.—Mallpura P.H.No.—09.	
5.	1. Org. Vill.—Andori 2. New Vill.—Sujie ka pura P.H.No.—10.		Tahsil : Gormi		District : Bhind
6.	1. Org. Vill.—Bhonpura 2. New Vill.—Chirayi P.H.No.—12.		17.	1. Org. Vill.—Hariksha 2. New Vill.—Gadi P.H.No.—35.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Bhind.
7.	1. Org. Vill.—Dehgaon 2. New Vill.—Jitwarsingh ka pura P.H.No.—67.		By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.		
8.	1. Org. Vill.—Lahchura 2. New Vill.—Lahchura ka pura P.H.No.—28.		भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
9.	1. Org. Vill.—Baknasa 2. New Vill.—Lalan ka pura P.H.No.—14.		एफ क्र. 15-14-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—		
Tahsil : Mihona		District : Bhind	अनुसूची		
10.	1. Org. Vill.—Rarishekaarpura 2. New Vill.—Shekaarpura P.H.No.—11.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Bhind.	तहसील : डबरा		जिला : ग्वालियर
11.	1. Org. Vill.—Viswari 2. New Vill.—Devjukapura P.H.No.—17.		क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
12.	1. Org. Vill.—Asnehat 2. New Vill.—Anteyan ka pura P.H.No.—22.		(1)	(2)	(3)
Tahsil : Ron		District : Bhind	1.	1. मूल ग्राम—टेकनपुर 2. नवीन ग्राम—माधवपुर प.ह.नं. 45.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला ग्वालियर.
13.	1. Org. Vill.—Nodha 2. New Vill.—Nodhni P.H.No.—16.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Bhind.	2.	1. मूल ग्राम—चांदपुर 2. नवीन ग्राम—हरीपुर प.ह.नं. 60.	
Tahsil : Bhind		District : Bhind	3.	1. मूल ग्राम—अरुं 2. नवीन ग्राम—चक्रब्रजपुर प.ह.नं. 53.	
14.	1. Org. Vill.—Mragpura 2. New Vill.—Rajpura P.H.No.—06..	Superintendent of Land Records (Regular), District—Bhind.			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4.	1. मूल ग्राम—मगरौरा 2. नवीन ग्राम—कंचनपुर प.ह.नं. 61.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला ग्वालियर.	14.	1. मूल ग्राम—सौजना 2. नवीन ग्राम—परपटे का पुरा प.ह.नं. 35.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला ग्वालियर.
5.	1. मूल ग्राम—गिजौरा 2. नवीन ग्राम—चक उभरासी प.ह.नं. 14.		15.	1. मूल ग्राम—कैथा 2. नवीन ग्राम—तालपुरा प.ह.नं. 33.	
6.	1. मूल ग्राम—किरौरा 2. नवीन ग्राम—काशीपुर प.ह.नं. 17.		16.	1. मूल ग्राम—बड़ागांव जागीर 2. नवीन ग्राम—ककैटो प.ह.नं. 07.	
7.	1. मूल ग्राम—हथनोरा 2. नवीन ग्राम—गणेशपुरा प.ह.नं. 19.		17.	1. मूल ग्राम—चपरौली 2. नवीन ग्राम—महामदपुर प.ह.नं. 145.	
8.	1. मूल ग्राम—कुम्हरा 2. नवीन ग्राम—सिलेटा प.ह.नं. 22.		तहसील : चिनौर		जिला : ग्वालियर
9.	1. मूल ग्राम—लोहगढ़ 2. नवीन ग्राम—खोड़न प.ह.नं. 62.		18.	1. मूल ग्राम—मेहगांव 2. नवीन ग्राम—चक मेहगांव प.ह.नं. 30.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला ग्वालियर.
10.	1. मूल ग्राम—भेंसनारी 2. नवीन ग्राम—सत्ती का पुरा 3. नवीन ग्राम—लढैयापुरा 4. नवीन ग्राम—अजीतपुरा 5. नवीन ग्राम—सिद्धपुरा प.ह.नं. 84.		19.	1. मूल ग्राम—कछौआ 2. नवीन ग्राम—चक कछौआ प.ह.नं. 06.	
तहसील : ग्वालियर			जिला : ग्वालियर		
11.	1. मूल ग्राम—सिमिरियाटांका 2. नवीन ग्राम—जखा 3. नवीन ग्राम—इमलिया प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला ग्वालियर.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.		
12.	1. मूल ग्राम—उम्मेदगढ़ 2. नवीन ग्राम—ददौरी प.ह.नं. 09.		भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
13.	1. मूल ग्राम—रायपुर 2. नवीन ग्राम—भगवानपुरा प.ह.नं. 25.		क्र. एफ 15-14-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-14-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.		
			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.		
			Bhopal, the 26th June 2013		
			F. No. 15-14-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State		

Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Dabra

District : Gwalior

S. No.	Name of original Village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Takanpur 2. New Vill.—Madhavpur P.H.No.—45.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Gwalior.
2.	1. Org. Vill.—Chandpur 2. New Vill.—Haripur P.H.No.—60.	
3.	1. Org. Vill.—Arru 2. New Vill.—Chckbrijpur P.H.No.—53.	
4.	1. Org. Vill.—Magrora 2. New Vill.—Kanchanpura P.H.No.—61.	
5.	1. Org. Vill.—Gijorra 2. New Vill.—Chakubhrasi P.H.No.—14.	
6.	1. Org. Vill.—Kiroll 2. New Vill.—Kashipur P.H.No.—17.	
7.	1. Org. Vill.—Hathnora 2. New Vill.—Ganeshpura P.H.No.—19.	
8.	1. Org. Vill.—Kumharra 2. New Vill.—Silleta P.H.No.—22.	
9.	1. Org. Vill.—Lohgarh 2. New Vill.—Khodan P.H.No.—62.	

(1)	(2)	(3)
10.	1. Org. Vill.—Bhainsnari 2. New Vill.—Sattikapura 3. New Vill.—Ladaiyakapur 4. New Vill.—Ajeetpura 5. New Vill.—Sidhpura P.H.No.—84.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Gwalior.

Tahsil : Gwalior

District :Gwalior

11.	1. Org. Vill.—Simriyataka 2. New Vill.—Jakha 3. New Vill.—Emaliya P.H.No.—18.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Gwalior.
12.	1. Org. Vill.—Ummedgarh 2. New Vill.—Dadori P.H.No.—09.	
13.	1. Org. Vill.—Raipur 2. New Vill.—Bhagwanpura P.H.No.—25.	
14.	1. Org. Vill.—Sojna 2. New Vill.—Parpate ka pura P.H.No.—35.	
15.	1. Org. Vill.—Kaitha 2. New Vill.—Talpura P.H.No.—33.	
16.	1. Org. Vill.—Badagaon Jageer 2. New Vill.—Kaketo P.H.No.—07.	
17.	1. Org. Vill.—Chaprouli 2. New Vill.—Mahamadpur P.H.No.—145.	

Tahsil : Chinor

District :Gwalior

18.	1. Org. Vill.—Mehgaon 2. New Vill.—Chak Mehgaon P.H.No.—30.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Gwalior.
19.	1. Org. Vill.—Kachhaua 2. New Vill.—Chak kachhaua P.H.No.—06.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

(1)

(2)

(3)

एफ क्र. 15-17-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : मण्डला

जिला : मण्डला

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—रामनगर 2. नवीन ग्राम—चिखलीटोला	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला मण्डला. प.ह.नं. 01.
2.	1. मूल ग्राम—ककैया 2. नवीन ग्राम—कछारी	प.ह.नं. 14.
3.	1. मूल ग्राम—बढार 2. नवीन ग्राम—सेमीकोल	प.ह.नं. 01.
4.	1. मूल ग्राम—भपसा 2. नवीन ग्राम—रामपुर	प.ह.नं. 15.
5.	1. मूल ग्राम—भरवेली 2. नवीन ग्राम—गारकाटोला	प.ह.नं. 01.
6.	1. मूल ग्राम—तिन्दुआ बम्हनी 2. नवीन ग्राम—कोहकाटोला	प.ह.नं. 03.
7.	1. मूल ग्राम—गौराछाप 2. नवीन ग्राम—भाखाटोला	प.ह.नं. 14.
8.	1. मूल ग्राम—पिपरिया 2. नवीन ग्राम—बर्गाटोला	प.ह.नं. 08.
9.	1. मूल ग्राम—धनपुरी रै 2. नवीन ग्राम—अमाही	प.ह.नं. 34.
10.	1. मूल ग्राम—चन्दवारा 2. नवीन ग्राम—गढी	प.ह.नं. 60.

11. 1. मूल ग्राम—आमानाला/ खुडीया/बरबसपुर
2. नवीन ग्राम—रसैयादोना
प.ह.नं. 32, 33.
12. 1. मूल ग्राम—सिलगी
2. नवीन ग्राम—चंद्रपुरा
प.ह.नं. 06.
13. 1. मूल ग्राम—सिमरिया
2. नवीन ग्राम—(छिवलाटोला) बावनगढ़.
प.ह.नं. 34.
14. 1. मूल ग्राम—गढ़बिसौरा
2. नवीन ग्राम—खम्हरियाटोला
प.ह.नं. 20.
15. 1. मूल ग्राम—भानपुर बिसौरा
2. नवीन ग्राम—भानपुर टोला
प.ह.नं. 20.
16. 1. मूल ग्राम—मझगांव
2. नवीन ग्राम—पोतला
प.ह.नं. 33.
17. 1. मूल ग्राम—चंदेहरा
2. नवीन ग्राम—शंकररांज
प.ह.नं. 33.
18. 1. मूल ग्राम—कोडरामाल
2. नवीन ग्राम—मंगलगंज
प.ह.नं. 30.
19. 1. मूल ग्राम—देवरी
2. नवीन ग्राम—बेरपानी
प.ह.नं. 16.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-17-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-17-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F.No. 15-17-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Mandla

District : Mandla

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Ramnagar 2. New Vill.—Chikhlitola P.H.No.—01.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandla.
2.	1. Org. Vill.—Kakaiya 2. New Vill.—Kachhari P.H.No.—14.	
3.	1. Org. Vill.—Badhar 2. New Vill.—Semikol P.H.No.—01.	
4.	1. Org. Vill.—Bhapsa 2. New Vill.—Rampur P.H.No.—15.	
5.	1. Org. Vill.—Bharveli 2. New Vill.—Garkatola P.H.No.—01.	
6.	1. Org. Vill.—Tindua Bahamani 2. New Vill.—Kohkatola P.H.No.—03.	
7.	1. Org. Vill.—Gorachapar 2. New Vill.—Bhakhatola P.H.No.—14.	
8.	1. Org. Vill.—Pipariya 2. New Vill.—Barratola P.H.No.—08.	
9.	1. Org. Vill.—Dhanpuri Ry. 2. New Vill.—Amahi P.H.No.—34.	
10.	1. Org. Vill.—Chandwara 2. New Vill.—Garhi P.H.No.—60.	
11.	1. Org. Vill.—Aamanala/ Khudiya/Barbaspur 2. New Vill.—Rassaiyadona P.H.No.—32, 33.	

(1)	(2)	(3)
12.	1. Org. Vill.—Silagi 2. New Vill.—Chandrapura P.H.No.—06.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Mandla.
13.	1. Org. Vill.—Simaraya 2. New Vill.—(Chhivlatola) Bavangarh P.H.No.—34.	
14.	1. Org. Vill.—Garhbisora 2. New Vill.—Khamhariyatola P.H.No.—20.	
15.	1. Org. Vill.—Bhanpura Bisora 2. New Vill.—Bhanpurtola P.H.No.—20.	
16.	1. Org. Vill.—Majhgoan 2. New Vill.—Potla P.H.No.—33.	
17.	1. Org. Vill.—Chabndehra 2. New Vill.—Sankarganj P.H.No.—33.	
18.	1. Org. Vill.—Kodramal 2. New Vill.—Mangalganj P.H.No.—30.	
19.	1. Org. Vill.—Deori 2. New Vill.—Berpani P.H.No.—16.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-27-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : सिवनी

जिला : सिवनी

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—चारगांव 2. नवीन ग्राम—गुढ़ी प.ह.नं. 03.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सिवनी.

Bhopal, the 26th June 2013

(1)	(2)	(3)
2.	1. मूल ग्राम—हथनापुर 2. नवीन ग्राम—ढाना प.ह.नं. 12.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सिवनी.
3.	1. मूल ग्राम—पटरा 2. नवीन ग्राम—टिंग्गीटोला प.ह.नं. 29.	
4.	1. मूल ग्राम—बांकी 2. नवीन ग्राम—ढाना प.ह.नं. 24.	
5.	1. मूल ग्राम—गोरखपुरकलां 2. नवीन ग्राम—भरूटोला प.ह.नं. 26.	
6.	1. मूल ग्राम—गोपालगंज 2. नवीन ग्राम—सिंधोड़ी प.ह.नं. 132.	

तहसील : केवलारी

जिला : सिवनी

7.	1. मूल ग्राम—गुवारी 2. नवीन ग्राम—सालीवाड़ा प.ह.नं. 35.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सिवनी.
8.	1. मूल ग्राम—नसीपुर 2. नवीन ग्राम—कुण्डलपुर प.ह.नं. 70.	

तहसील : बरघाट

जिला : सिवनी

9.	1. मूल ग्राम—मलारा 2. नवीन ग्राम—चम्मूटोला प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला सिवनी.
10.	1. मूल ग्राम—गुदमा 2. नवीन ग्राम—जामुनटोला प.ह.नं. 14.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-27-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-27-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

F.No. 15-27-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Seoni

District : Seoni

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Chargaon 2. New Vill.—Gudhi P.H.No.—03.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Seoni.
2.	1. Org. Vill.—Hathnapur 2. New Vill.—Dhana P.H.No.—12.	
3.	1. Org. Vill.—Patra 2. New Vill.—Tinggotola P.H.No.—29.	
4.	1. Org. Vill.—Banki 2. New Vill.—Dhana P.H.No.—24.	
5.	1. Org. Vill.—Gorkhpurkala 2. New Vill.—Bharrutola P.H.No.—26.	
6.	1. Org. Vill.—Gopalganj 2. New Vill.—Singhori P.H.No.—132.	

Tahsil : Kewlari

District : Seoni

7.	1. Org. Vill.—Guwari 2. New Vill.—Saliwara P.H.No.—35.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Seoni.
8.	1. Org. Vill.—Nasipur 2. New Vill.—Kundalpur P.H.No.—70.	

Tahsil : Barghat

District : Seoni

9.	1. Org. Vill.—Malara 2. New Vill.—Chammutola P.H.No.—18.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Seoni.
10.	1. Org. Vill.—Gudma 2. New Vill.—Jamuntola P.H.No.—14.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

Bhopal, the 26th June 2013

एफ क्र. 15-29-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : झाबुआ	जिला : झाबुआ	
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—दुधी 2. नवीन ग्राम—खजुरखो प.ह.नं. 83.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला झाबुआ.

तहसील : मेघनगर	जिला : झाबुआ	
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
2.	1. मूल ग्राम—गुवाली 2. नवीन ग्राम—बाड़ीसेरा 3. नवीन ग्राम—दोतड़ 4. नवीन ग्राम—केलकुआ 5. नवीन ग्राम—कोयादरिया प.ह.नं. 08.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला झाबुआ.

तहसील : पेटलावद	जिला : झाबुआ	
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
3.	1. मूल ग्राम—मोहनकोट 2. नवीन ग्राम—सेमलकुण्डिया 3. नवीन ग्राम—मोरझरिया प.ह.नं. 29.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला झाबुआ.
4.	1. मूल ग्राम—करडावद 2. नवीन ग्राम—ठीकरिया पाड़ा प.ह.नं. 08.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला झाबुआ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-29-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-29-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

F. No. 15-29-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Jhabua	District : Jhabua	
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Dudhee 2. New Vill.—Khjurkho P.H.No.—83.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Jhabua.

Tahsil : Meghnagar	District : Jhabua	
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
2.	1. Org. Vill.—Guwali 2. New Vill.—Bandisera 3. New Vill.—Dotad 4. New Vill.—Kelkuwa 5. New Vill.—Koyadriya P.H.No.—08.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Jhabua.

Tahsil : Petlawad	District : Jhabua	
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
3.	1. Org. Vill.—Mohankot 2. New Vill.—Semalkundya 3. New Vill.—Morzriya P.H.No.—29.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Jhabua.
4.	1. Org. Vill.—Kardawad 2. New Vill.—Thikripada P.H.No.—08.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Jhabua.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-30-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : जीरन	जिला : नीमच	
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—घसुण्डी जागीर 2. नवीन ग्राम—खडवेल्या 3. नवीन ग्राम—गांधीपुरा प.ह.नं. 10.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.

(1)	(2)	(3)
2.	1. मूल ग्राम—पालसोड़ा 2. नवीन ग्राम—जैतपुरा 3. नवीन ग्राम—देवीपुरा प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
3.	1. मूल ग्राम—कुचड़ोद 2. नवीन ग्राम—धोकलखेड़ा प.ह.नं. 23.	

तहसील : जावद

जिला : नीमच

4.	1. मूल ग्राम—बागरेड 2. नवीन ग्राम—बागरेड का खेड़ा प.ह.नं. 43.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
----	--	--

तहसील : रामपुरा

जिला : नीमच

5.	1. मूल ग्राम—जन्नौद 2. नवीन ग्राम—हरिपुरा प.ह.नं. 80.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
----	---	--

तहसील : मनासा

जिला : नीमच

6.	1. मूल ग्राम—ढोढर ब्लाक 2. नवीन ग्राम—हाम्माखेड़ी 3. नवीन ग्राम—नई ननौर प.ह.नं. 56.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
----	--	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-30-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-30-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-30-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be

prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Jeeran

District : Neemuch

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
--------	--------------------------	---

(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Ghasundi Jageer 2. New Vill.—Khadweliya 3. New Vill.—Gandhi pura P.H.No.—10.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Neemuch.
2.	1. Org. Vill.—Palsoda 2. New Vill.—Jaitpura 3. New Vill.—Devipura P.H.No.—18.	
3.	1. Org. Vill.—Kuchrod 2. New Vill.—Dhokalkheda P.H.No.—23.	

Tahsil : Jawad

District : Neemuch

4.	1. Org. Vill.—Bangred 2. New Vill.—Bangred ka Kheda P.H.No.—43.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Neemuch.
----	--	--

Tahsil : Rampura

District : Neemuch

5.	1. Org. Vill.—Jannod 2. New Vill.—Haripura P.H.No.—80.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Neemuch.
----	--	--

Tahsil : Manasa

District : Neemuch

6.	1. Org. Vill.—Dhodhar Block 2. New Vill.—Hamakhedi 2. New Vill.—Nayi Nanor P.H.No.—56.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Neemuch.
----	---	--

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-31-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : खालवा

जिला : खण्डवा

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—कालाआम कलां 2. नवीन ग्राम—मदरानी प.ह.नं. 06.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला खण्डवा.
2.	01. मूल ग्राम—जूनापानी 02. नवीन ग्राम—गोलीढाना प.ह.नं. 17.	
3.	01. मूल ग्राम—खालवा सरकार 02. नवीन ग्राम—गौमुख प.ह.नं. 20.	
4.	01. मूल ग्राम—नामापुर 02. नवीन ग्राम—मिरीखेड़ा प.ह.नं. 28.	
5.	01. मूल ग्राम—दोगालिया 02. नवीन ग्राम—बैड़ाढाना प.ह.नं. 29.	
6.	01. मूल ग्राम—कुम्हारखेड़ा 02. नवीन ग्राम—रिछड़ीखेड़ा प.ह.नं. 32.	
7.	01. मूल ग्राम—अंबाड़ा रैयत 02. नवीन ग्राम—बावड़िया रैयत प.ह.नं. 60.	
8.	01. मूल ग्राम—खमलाय 02. नवीन ग्राम—सामूढाना प.ह.नं. 66.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

क्र. एफ 15-31-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-31-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F.No. 15-31-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Khalwa

District : Khandwa

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Kalaam kala 2. New Vill.—Madranee P.H.No.—06.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Khandwa.
2.	1. Org. Vill.—Junapanee 2. New Vill.—Goleedhana P.H.No.—17.	
3.	1. Org. Vill.—Khalwa Sarkar 2. New Vill.—Goomukh P.H.No.—20.	
4.	1. Org. Vill.—Namapur 2. New Vill.—Mirikheda P.H.No.—28.	
5.	1. Org. Vill.—Dongaliya 2. New Vill.—Baidhadhana P.H.No.—29.	
6.	1. Org. Vill.—Kumharkheda 2. New Vill.—Richhdikheda P.H.No.—32.	

- | | | |
|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) |
| 7. 1. Org. Vill.—Ambada Raiyat
2. New Vill.—Bavadiya Raiyat
P.H.No.—60. | Superintendent of Land
Records (Regular),
District—Khandwa. | |
| 8. 1. Org. Vill.—Khamlaya
2. New Vill.—Samudhana
P.H.No.—66. | | |

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-32-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : सिंगरोली

जिला : सिंगरोली

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—हरहवा 2. नवीन ग्राम—करकोटा प.ह.नं. 78.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला सिंगरोली.
2.	01. मूल ग्राम—गोभा 02. नवीन ग्राम—गुनगहवा प.ह.नं. 70.	
3.	01. मूल ग्राम—तियरा 02. नवीन ग्राम—पलहवा प.ह.नं. 85.	
4.	01. मूल ग्राम—बरहपान 02. नवीन ग्राम—मुडवनिया टोला प.ह.नं. 71.	

तहसील : चितरंगी

जिला : सिंगरोली

5.	1. मूल ग्राम—झरकटिया 2. नवीन ग्राम—बोदरहवा प.ह.नं. 102.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सिंगरोली.
----	---	---

- | | | |
|-----|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 6. | 1. मूल ग्राम—खम्हारडीह
2. नवीन ग्राम—गिधौहा
प.ह.नं. 03. | अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
जिला सिंगरोली. |
| 7. | 01. मूल ग्राम—कपूरदेई
02. नवीन ग्राम—बगढ़ा
प.ह.नं. 98. | |
| 8. | 01. मूल ग्राम—पथरकटी
02. नवीन ग्राम—गुलरिहा
प.ह.नं. 95. | |
| 9. | 01. मूल ग्राम—वगैया
02. नवीन ग्राम—पिपरहवा टोला
प.ह.नं. 97. | |
| 10. | 01. मूल ग्राम—धवई
02. नवीन ग्राम—घोड़दर
प.ह.नं. 67. | |
| 11. | 01. मूल ग्राम—देवरी
02. नवीन ग्राम—भितरी
प.ह.नं. 71. | |

तहसील : माड़ा

जिला : सिंगरोली

12.	1. मूल ग्राम—खम्हरिया 2. नवीन ग्राम—महदेवा टोला प.ह.नं. 90.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला सिंगरोली.
-----	---	--

तहसील : देवसर

जिला : सिंगरोली

13.	1. मूल ग्राम—बाघाडीह 2. नवीन ग्राम—भलुहीटोला प.ह.नं. 77.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित), जिला सिंगरोली.
14.	01. मूल ग्राम—खन्धौली 02. नवीन ग्राम—खैरखुट प.ह.नं. 31.	
15.	01. मूल ग्राम—कुर्सा 02. नवीन ग्राम—भाटटोला प.ह.नं. 04.	
16.	01. मूल ग्राम—जियावन 02. नवीन ग्राम—चौराडाड प.ह.नं. 07.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-32-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-32-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-32-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Singrauli **District : Singrauli**

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Harhwa 2. New Vill.—Karkota P.H.No.—78.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Singrauli .
2.	1. Org. Vill.—Gobha 2. New Vill.—Mungahwa P.H.No.—70.	
3.	1. Org. Vill.—Tiyra 2. New Vill.—Palhwa P.H.No.—85.	
4.	1. Org. Vill.—Barahpan 2. New Vill.—Mudvaniyatola P.H.No.—71.	

Tahsil : Chitrangi **District : Singrauli**

5.	1. Org. Vill.—Jarkatiya 2. New Vill.—Bodarhwa P.H.No.—102.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Singrauli .
6.	1. Org. Vill.—Khamhardih 2. New Vill.—Gidhauha P.H.No.—03.	

(1)	(2)	(3)
7.	1. Org. Vill.—Kapur dai 2. New Vill.—Bagda P.H.No.—98.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Singrauli .
8.	1. Org. Vill.—Patharkati 2. New Vill.—Gulriha P.H.No.—95.	
9.	1. Org. Vill.—Bagaiya 2. New Vill.—Piprahvatola P.H.No.—97.	
10.	1. Org. Vill.—Dhavai 2. New Vill.—Ghordar P.H.No.—67.	
11.	1. Org. Vill.—Deori 2. New Vill.—Bhitari P.H.No.—71.	

Tahsil : Mada

District : Singrauli

12.	1. Org. Vill.—Khamhariya 2. New Vill.—Mahdevatola P.H.No.—90.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Singrauli .
-----	---	---

Tahsil : Deosar

District : Singrauli

13.	1. Org. Vill.—Baghadih 2. New Vill.—Bhaluhitola P.H.No.—77.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Singrauli .
14.	1. Org. Vill.—Khandhauhi 2. New Vill.—Khairkhut P.H.No.—31.	
15.	1. Org. Vill.—Kursa 2. New Vill.—Bhattola P.H.No.—04.	
16.	1. Org. Vill.—Jiyawan 2. New Vill.—Chauradad P.H.No.—07.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-33-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके

नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—शाहपुरा प.ह.नं. 13.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
	2. मूल ग्राम—परसूलिया प.ह.नं. 12.	जिला राजगढ़.
	3. नवीन ग्राम—संजयग्राम.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-33-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-33-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-33-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Biaora

District : Rajgarh

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Shahpura P.H.No.—13.	Superintendent of Land Records (Regular),
	2. Org. Vill.—Parsooliya P.H.No.—12.	District—Rajgarh.
	3. New Vill.—Sanjay Gram.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-34-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : बड़नगर

जिला : उज्जैन

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—भाटपचलाना	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित),
	2. नवीन ग्राम—सावंतपुरा प.ह.नं. 01.	जिला उज्जैन.
2.	1. मूल ग्राम—अमला	
	2. नवीन ग्राम—अर्जुनाखेड़ी प.ह.नं. 86.	
3.	1. मूल ग्राम—कायथा	
	2. नवीन ग्राम—रामपुरा प.ह.नं. 98.	
4.	1. मूल ग्राम—रूपेटा	
	2. नवीन ग्राम—भडला प.ह.नं. 27.	
5.	1. मूल ग्राम—चितावद	
	2. नवीन ग्राम—चितावदखेड़ा प.ह.नं. 12.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-34-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-34-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-34-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Badnagar

District : Ujjain

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Bhatpachlana 2. New Vill.—Sawantpura P.H.No.—01.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Ujjain.
2.	1. Org. Vill.—Amla 2. New Vill.—Arjunakhedi P.H.No.—86.	
3.	1. Org. Vill.—Kaytha 2. New Vill.—Rampura P.H.No.—98.	
4.	1. Org. Vill.—Rupeta 2. New Vill.—Bhadla P.H.No.—27.	
5.	1. Org. Vill.—Chitawad 2. New Vill.—Chitawadheda P.H.No.—12.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-35-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित

अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : विदिशा

जिला : विदिशा

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—धमनोदा 2. नवीन ग्राम—ग्रन्ट प.ह.नं. 23.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला विदिशा.
2.	1. मूल ग्राम—किरमची बंधेरा 2. नवीन ग्राम—बंधेरा प.ह.नं. 71.	

तहसील : सिरोंज

जिला : विदिशा

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
3.	1. मूल ग्राम—कोरवाई 2. नवीन ग्राम—फजलपुर प.ह.नं. 03.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा.
4.	1. मूल ग्राम—नरखेड़ा जागीर 2. नवीन ग्राम—सेमरा प.ह.नं. 04.	
5.	1. मूल ग्राम—घुटुआ 2. नवीन ग्राम—कंदराखेड़ी प.ह.नं. 22.	
6.	1. मूल ग्राम—बरेण्डा 2. नवीन ग्राम—सारंगपुर प.ह.नं. 38.	
7.	1. मूल ग्राम—सेमलखेड़ी 2. नवीन ग्राम—चकना 3. नवीन ग्राम—भोजपुर प.ह.नं. 39.	
8.	1. मूल ग्राम—धानौदा 2. नवीन ग्राम—समदपुर प.ह.नं. 40.	
9.	1. मूल ग्राम—चाठौली 2. नवीन ग्राम—हबीबाबांग प.ह.नं. 42.	
10.	1. मूल ग्राम—संतोषपुर 2. नवीन ग्राम—नूरपुर प.ह.नं. 52.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
तहसील : सिरोंज			जिला : विदिशा		
11.	1. मूल ग्राम—कोरवासा 2. नवीन ग्राम—धर्मपुर प.ह.नं. 56.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा.	22.	1. मूल ग्राम—रायखेड़ी 2. नवीन ग्राम—गूदनखेड़ी प.ह.नं. 05.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा.
12.	1. मूल ग्राम—अमीरगढ़ 2. नवीन ग्राम—पठेरा 3. नवीन ग्राम—मिर्जापुर प.ह.नं. 60.		23.	1. मूल ग्राम—पिपरिया 2. नवीन ग्राम—रामनगर प.ह.नं. 22.	
तहसील : लटेरी			जिला : विदिशा		
13.	1. मूल ग्राम—मोतीपुर 2. नवीन ग्राम—कुंडलपुर प.ह.नं. 10.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा.	24.	1. मूल ग्राम—खैराई 2. नवीन ग्राम—बैलानारा प.ह.नं. 35.	
14.	1. मूल ग्राम—इसरवास 2. नवीन ग्राम—कल्याणपुर प.ह.नं. 25.		25.	1. मूल ग्राम—रावन 2. नवीन ग्राम—बम्होरी प.ह.नं. 40.	
15.	1. मूल ग्राम—ईशागढ़ 2. नवीन ग्राम—चक्काबू प.ह.नं. 25.		तहसील : शमशाबाद जिला : विदिशा		
16.	1. मूल ग्राम—मुरारिया 2. नवीन ग्राम—भीला 3. नवीन ग्राम—आलमपुर प.ह.नं. 42.		26.	1. मूल ग्राम—पिपलधार 2. नवीन ग्राम—पट्टन 3. नवीन ग्राम—लाड़पुर प.ह.नं. 19.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला विदिशा.
17.	1. मूल ग्राम—दपकन 2. नवीन ग्राम—चमारपुरा प.ह.नं. 49.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		
18.	1. मूल ग्राम—झूकरजोगी 2. नवीन ग्राम—बरखेड़ा 3. नवीन ग्राम—धूमगिर प.ह.नं. 45.		भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
19.	1. मूल ग्राम—तिलौनी 2. नवीन ग्राम—कराबरी 3. नवीन ग्राम—रानीधार प.ह.नं. 54.		क्र. एफ 15-35-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-35-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.		
20.	1. मूल ग्राम—बरखेड़ा धन्नु 2. नवीन ग्राम—नयागांव प.ह.नं. 13.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		
21.	1. मूल ग्राम—टोंकरा 2. नवीन ग्राम—देहरी प.ह.नं. 62.		Bhopal, the 26th June 2013		
F. No. 15-35-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the					

Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Vidisha

District : Vidisha

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 1. Org. Vill.—Dhamnoda
2. New Vill.—Grant
P.H.No.—23. | Superintendent of Land Records (Regular),
District— Vidisha . |
| 2. | 1. Org. Vill.—Krimchi Bandhera
2. New Vill.—Bandhera
P.H.No.—71. | |

Tahsil : Sironj

District : Vidisha

3.	1. Org. Vill.—Korwai 2. New Vill.—Fajalpur P.H.No.—03.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Vidisha .
----	--	---

4.	1. Org. Vill.—Narkheda Jagir 2. New Vill.—Semra P.H.No.—04.	
----	---	--

5.	1. Org. Vill.—Ghutua 2. New Vill.—Kandrakhedi P.H.No.—22.	
----	---	--

6.	1. Org. Vill.—Barenda 2. New Vill.—Sarangpur P.H.No.—38.	
----	--	--

7.	1. Org. Vill.—Semalkhedi 2. New Vill.—Chakna 3. New Vill.—Bhojpur P.H.No.—39.	
----	--	--

8.	1. Org. Vill.—Dhanoda 2. New Vill.—Samadpur P.H.No.—40.	
----	---	--

9.	1. Org. Vill.—Chatholi 2. New Vill.—Habibganj P.H.No.—42.	
----	---	--

10.	1. Org. Vill.—Santoshpur 2. New Vill.—Noorpur P.H.No.—52.	
-----	---	--

11.	1. Org. Vill.—Korwasa 2. New Vill.—Dharampur P.H.No.—56.	
-----	--	--

12.	1. Org. Vill.—Ameergad 2. New Vill.—Pathera 3. New Vill.—Mirjapur P.H.No.—60.	
-----	--	--

Tahsil : Lateri

District : Vidisha

13.	1. Org. Vill.—Motipur 2. New Vill.—Kundalpur P.H.No.—10.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Vidisha .
-----	--	---

(1)	(2)	(3)
14.	1. Org. Vill.—Esarwas 2. New Vill.—Kalyanpur P.H.No.—25.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Vidisha .

15.	1. Org. Vill.—Esagad 2. New Vill.—Chakkaboo P.H.No.—25.	
-----	---	--

16.	1. Org. Vill.—Murariya 2. New Vill.—Bheela 3. New Vill.—Alampur P.H.No.—42.	
-----	--	--

17.	1. Org. Vill.—Dapkan 2. New Vill.—Chamarpura P.H.No.—49.	
-----	--	--

18.	1. Org. Vill.—Jhookarjogi 2. New Vill.—Barkheda 3. New Vill.—Dhoomgir P.H.No.—45.	
-----	--	--

19.	1. Org. Vill.—Tiloni 2. New Vill.—Karrabarri 3. New Vill.—Ranidhar P.H.No.—54.	
-----	---	--

20.	1. Org. Vill.—Barkheda Dhannu 2. New Vill.—Nayagaon P.H.No.—13.	
-----	---	--

21.	1. Org. Vill.—Tonkra 2. New Vill.—Dehri P.H.No.—62.	
-----	---	--

Tahsil : Nateran

District : Vidisha

22.	1. Org. Vill.—Raikhedi 2. New Vill.—Goodankhedi P.H.No.—05.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Vidisha .
-----	---	---

23.	1. Org. Vill.—Pipariya 2. New Vill.—Ramnagar P.H.No.—22.	
-----	--	--

24.	1. Org. Vill.—Kherai 2. New Vill.—Belanara P.H.No.—35.	
-----	--	--

25.	1. Org. Vill.—Rawan 2. New Vill.—Bamhori P.H.No.—40.	
-----	--	--

Tahsil : Shamshabad

District : Vidisha

26.	1. Org. Vill.—Pipaldhar 2. New Vill.—Pattan 3. New Vill.—Laadpur P.H.No.—19.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Vidisha .
-----	---	---

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

(1)

(2)

(3)

एफ क्र. 15-37-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : तामिया

जिला : छिन्दवाड़ा

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—झिरपा 2. नवीन ग्राम—आडिटोरिया प.ह.नं. 02.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.
2.	1. मूल ग्राम—बंधीबोदलकछार 2. नवीन ग्राम—बंधीढाना प.ह.नं. 04.	
3.	1. मूल ग्राम—जमुनिया 2. नवीन ग्राम—खमदोड़ा प.ह.नं. 06.	
4.	1. मूल ग्राम—सेहराढाना 2. नवीन ग्राम—चटनी प.ह.नं. 17.	
5.	1. मूल ग्राम—देलाखारी 2. नवीन ग्राम—कोहपानी प.ह.नं. 18.	
6.	1. मूल ग्राम—श्रीझोत 2. नवीन ग्राम—लुक्काढाना प.ह.नं. 19.	
7.	1. मूल ग्राम—प्रतापगढ़बादला 2. नवीन ग्राम—फांसीढाना प.ह.नं. 20.	
8.	1. मूल ग्राम—कुर्सीढाना 2. नवीन ग्राम—उमरडोल प.ह.नं. 21.	
9.	1. मूल ग्राम—बेलखेड़ी 2. नवीन ग्राम—दिबूढाना प.ह.नं. 21.	

10.	1. मूल ग्राम—जामुनडोंगा 2. नवीन ग्राम—नौरीटोला प.ह.नं. 22.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.
11.	1. मूल ग्राम—बागई 2. नवीन ग्राम—पांचाढाना प.ह.नं. 23.	
12.	1. मूल ग्राम—गोनावाड़ी 2. नवीन ग्राम—वकाईनढाना प.ह.नं. 25.	
13.	1. मूल ग्राम—मुत्तौर 2. नवीन ग्राम—झापूढाना प.ह.नं. 25.	
14.	1. मूल ग्राम—धूंसावानी 2. नवीन ग्राम—राजढाना प.ह.नं. 27.	
15.	1. मूल ग्राम—लिंगा 2. नवीन ग्राम—बटकीढाना प.ह.नं. 36.	
16.	1. मूल ग्राम—मोआरकला 2. नवीन ग्राम—सीतामुआर प.ह.नं. 39.	
17.	1. मूल ग्राम—घटामाली 2. नवीन ग्राम—मरकाखेड़ा प.ह.नं. 39.	
18.	1. मूल ग्राम—कुम्हड़ी 2. नवीन ग्राम—कुम्हड़ीखेड़ा प.ह.नं. 45.	
19.	1. मूल ग्राम—नागरी 2. नवीन ग्राम—पीपरढार प.ह.नं. 46.	

तहसील : चोरई

जिला : छिन्दवाड़ा

20.	1. मूल ग्राम—चीचगांव 2. नवीन ग्राम—बेलाखेड़ा प.ह.नं. 15.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.
-----	--	--

तहसील : परासिया

जिला : छिन्दवाड़ा

21.	1. मूल ग्राम—कोहका 2. नवीन ग्राम—बाबाढाना प.ह.नं. 14.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.
22.	1. मूल ग्राम—दमुआ 2. नवीन ग्राम—जूनाढाना प.ह.नं. 15.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
23.	1. मूल ग्राम—धमनिया 2. नवीन ग्राम—सिताढाना प.ह.नं. 16.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.	36.	1. मूल ग्राम—बिनेकी 2. नवीन ग्राम—बिनेकीढाना प.ह.नं. 68.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.
24.	1. मूल ग्राम—पैजनबाड़ा 2. नवीन ग्राम—कोंडराढाना प.ह.नं. 19.		तहसील : हरई		जिला : छिन्दवाड़ा
तहसील : छिन्दवाड़ा			जिला : छिन्दवाड़ा		
25.	1. मूल ग्राम—लहगडुआ 2. नवीन ग्राम—चोखड़ाढाना प.ह.नं. 23.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.	37.	1. मूल ग्राम—चिखला 2. नवीन ग्राम—चकरपाठ प.ह.नं. 36.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.
26.	1. मूल ग्राम—राजाखोह 2. नवीन ग्राम—राजाखोहढाना प.ह.नं. 37.		38.	1. मूल ग्राम—सूखापुरा 2. नवीन ग्राम—पटी प.ह.नं. 46.	
तहसील : बिछुआ			जिला : छिन्दवाड़ा		
27.	1. मूल ग्राम—दूधगांव 2. नवीन ग्राम—छेंडियाटोला प.ह.नं. 48.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.	39.	1. मूल ग्राम—कचनरा 2. नवीन ग्राम—लेंडियाटोला प.ह.नं. 54.	
तहसील : अमरवाड़ा			जिला : छिन्दवाड़ा		
28.	1. मूल ग्राम—पौनारी 2. नवीन ग्राम—नीमढाना प.ह.नं. 05.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छिन्दवाड़ा.	40.	1. मूल ग्राम—सेजवाड़ाकला 2. नवीन ग्राम—हिराकोल प.ह.नं. 63.	
29.	1. मूल ग्राम—डोडोकुही 2. नवीन ग्राम—भुडकुमढाना प.ह.नं. 09.		41.	1. मूल ग्राम—सूरला 2. नवीन ग्राम—पीपरढाना प.ह.नं. 67.	
30.	1. मूल ग्राम—सेजवाड़ाखुर्द 2. नवीन ग्राम—आमाकोल प.ह.नं. 13.		तहसील : जुनारदेव		
31.	1. मूल ग्राम—रजोला 2. नवीन ग्राम—राजनगांव प.ह.नं. 33.		42.	1. मूल ग्राम—बीचवेहरी 2. नवीन ग्राम—झालमउ प.ह.नं. 08.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला छिन्दवाड़ा.
32.	1. मूल ग्राम—मानेगांव 2. नवीन ग्राम—नांदिया प.ह.नं. 40.		43.	1. मूल ग्राम—भरदागढ़ 2. नवीन ग्राम—बेलनीढाना प.ह.नं. 16.	
33.	1. मूल ग्राम—बांदरा 2. नवीन ग्राम—बांदराढाना प.ह.नं. 41.		44.	1. मूल ग्राम—हिरदागढ़ 2. नवीन ग्राम—मेंहदावीर प.ह.नं. 33.	
34.	1. मूल ग्राम—बोरीमाल 2. नवीन ग्राम—बाबूटोला प.ह.नं. 53.		45.	1. मूल ग्राम—तेलीवट 2. नवीन ग्राम—तराकढाना प.ह.नं. 36.	
35.	1. मूल ग्राम—बारहहीरामाल 2. नवीन ग्राम—बारहढाना प.ह.नं. 59.		46.	1. मूल ग्राम—माली 2. नवीन ग्राम—सिराढाना प.ह.नं. 41.	
			47.	1. मूल ग्राम—खमराकला 2. नवीन ग्राम—ढालापठार प.ह.नं. 46.	
			48.	1. मूल ग्राम—केवलारी 2. नवीन ग्राम—बिछुआ प.ह.नं. 49.	
			49.	1. मूल ग्राम—आंकिया 2. नवीन ग्राम—धोबीघाट प.ह.नं. 72.	

(1)	(2)	(3)
तहसील : मोहखेड़		जिला : छिन्दवाड़ा
50.	1. मूल ग्राम—मुजावरमाल 2. नवीन ग्राम—जायदेईढाना 3. नवीन ग्राम—भुडकुम 4. नवीन ग्राम—चारढाना प.ह.नं. 05.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला छिन्दवाड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-37-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-37-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-37-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of :—

SCHEDULE

Tahsil : Tamia

District : Chhindwara

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Jhirpa 2. New Vill.—Aaditoriya P.H.No.—02.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.
2.	1. Org. Vill.—Bandibodal Kachhar 2. New Vill.—Bandidhana P.H.No.—04.	
3.	1. Org. Vill.—Jamuniya 2. New Vill.—Khamdoda P.H.No.—06.	
4.	1. Org. Vill.—Schja Dhana 2. New Vill.—Chatni P.H.No.—17.	

(1)	(2)	(3)
5.	1. Org. Vill.—Dela Khari 2. New Vill.—Kohpani P.H.No.—18.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.
6.	1. Org. Vill.—Shrijhot 2. New Vill.—Lukka Dhana P.H.No.—19.	
7.	1. Org. Vill.—Pratapgadh Badla 2. New Vill.—Phansi Dhana P.H.No.—20.	
8.	1. Org. Vill.—Kursi Dhana 2. New Vill.—Umardol P.H.No.—21.	
9.	1. Org. Vill.—Belkhedi 2. New Vill.—Dibudhana P.H.No.—21.	
10.	1. Org. Vill.—Jamundonga 2. New Vill.—Nouri Tola P.H.No.—22.	
11.	1. Org. Vill.—Bagai 2. New Vill.—Pancha Dhana P.H.No.—23.	
12.	1. Org. Vill.—Gonawadi 2. New Vill.—Bakain Dhana P.H.No.—25.	
13.	1. Org. Vill.—Muttur 2. New Vill.—Jhapu Dhana P.H.No.—25.	
14.	1. Org. Vill.—Dhunsawani 2. New Vill.—Raj Dhana P.H.No.—27.	
15.	1. Org. Vill.—Linga 2. New Vill.—Batki Dhana P.H.No.—36.	
16.	1. Org. Vill.—Moaar kala 2. New Vill.—Seeta Muaar P.H.No.—39.	
17.	1. Org. Vill.—Ghata Mali 2. New Vill.—Marka Kheda P.H.No.—39.	
18.	1. Org. Vill.—Kumhdi 2. New Vill.—Kumhdi Kheda P.H.No.—45.	
19.	1. Org. Vill.—Nagri 2. New Vill.—Pipardhar P.H.No.—46.	

Tahsil : Chouri

District : Chhindwara

20.	1. Org. Vill.—Chich Gaon 2. New Vill.—Belkheda P.H.No.—15.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.
-----	--	---

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Tahsil : Parasiya			Tahsil : Harrai		
District : Chhindwara			District : Chhindwara		
21.	1. Org. Vill.—Kohka 2. New Vill.—Babadhana P.H.No.—14.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.	37.	1. Org. Vill.—Chikhla 2. New Vill.—Chakarpath P.H.No.—36.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.
22.	1. Org. Vill.—Damua 2. New Vill.—Joonaa Dhana P.H.No.—15.		38.	1. Org. Vill.—Sukhapura 2. New Vill.—Pati P.H.No.—46.	
23.	1. Org. Vill.—Dhamaniya 2. New Vill.—Sitta Dhana P.H.No.—16.		39.	1. Org. Vill.—Kachnara 2. New Vill.—Lendia Tola P.H.No.—54.	
24.	1. Org. Vill.—Paijanwada 2. New Vill.—Kondra Dhana P.H.No.—19.		40.	1. Org. Vill.—Sejwada Kala 2. New Vill.—Hirrakol P.H.No.—63.	
Tahsil : Chhindwara			Tahsil : Junnardev		
District : Chhindwara			District : Chhindwara		
25.	1. Org. Vill.—Lahagadua 2. New Vill.—Choukhada Dhana P.H.No.—23.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.	41.	1. Org. Vill.—Soorla 2. New Vill.—Pipardhana P.H.No.—67.	
26.	1. Org. Vill.—Raja Khoh 2. New Vill.—Raja Khoh Dhana P.H.No.—37.		42.	1. Org. Vill.—Beechbehari 2. New Vill.—Jhalmaou P.H.No.—08.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.
Tahsil : Bichhua			Tahsil : Mohkhed		
District : Chhindwara			District : Chhindwara		
27.	1. Org. Vill.—Doodh Gaon 2. New Vill.—Chhendiyaa Tola P.H.No.—48.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.	43.	1. Org. Vill.—Bhardagadh 2. New Vill.—Belnidhana P.H.No.—16.	
Tahsil : Amarwada			Tahsil : Mohkhed		
District : Chhindwara			District : Chhindwara		
28.	1. Org. Vill.—Pounari 2. New Vill.—Neem Dhana P.H.No.—05.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.	44.	1. Org. Vill.—Hirdagadh 2. New Vill.—Mehadaveer P.H.No.—33.	
29.	1. Org. Vill.—Dhodakuhee 2. New Vill.—Bhudkum Dhana P.H.No.—09.		45.	1. Org. Vill.—Telivat 2. New Vill.—Tarakdhana P.H.No.—36.	
30.	1. Org. Vill.—Sejwada Khurd 2. New Vill.—Aamakol P.H.No.—13.		46.	1. Org. Vill.—Mali 2. New Vill.—Siradhana P.H.No.—41.	
31.	1. Org. Vill.—Rajola 2. New Vill.—Rajan Gaon P.H.No.—33.		47.	1. Org. Vill.—Khamra Kala 2. New Vill.—Dhalapathar P.H.No.—46.	
32.	1. Org. Vill.—Manegaon 2. New Vill.—Nandiyaa P.H.No.—40.		48.	1. Org. Vill.—Keolari 2. New Vill.—Bichhua P.H.No.—49.	
33.	1. Org. Vill.—Bandra 2. New Vill.—Bandra Dhana P.H.No.—41.		49.	1. Org. Vill.—Aakiya 2. New Vill.—Dhobighat P.H.No.—72.	
34.	1. Org. Vill.—Borimal 2. New Vill.—Batutola P.H.No.—53.		Tahsil : Mohkhed		
35.	1. Org. Vill.—Barahheera Mal 2. New Vill.—Barah Dhana P.H.No.—59.		District : Chhindwara		
36.	1. Org. Vill.—Binekee 2. New Vill.—Binekee Dhana P.H.No.—68.		50.	1. Org. Vill.—Mujavar Mal 2. New Vill.—Jayadei Dhana 3. New Vill.—Bhudkum 4. New Vill.—Char Dhana P.H.No.—05.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhindwara.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-39-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : पन्ना

जिला : पन्ना

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—इटवांकला 2. नवीन ग्राम—डोभा 3. नवीन ग्राम—मडैयन प.ह.नं. 04.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.
2.	1. मूल ग्राम—तिलगवां 2. नवीन ग्राम—कटरा प.ह.नं. 25.	
3.	1. मूल ग्राम—अहिरगवां 2. नवीन ग्राम—अहिरगवां कैम्प प.ह.नं. 29.	

तहसील : शाहनगर

जिला : पन्ना

4.	1. मूल ग्राम—शाहनगर 2. नवीन ग्राम—धरमपुरा प.ह.नं. 25.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.
5.	1. मूल ग्राम—लमतारा 2. नवीन ग्राम—झिन्ना प.ह.नं. 18.	
6.	1. मूल ग्राम—लुधगवां 2. नवीन ग्राम—कारी पतेरी प.ह.नं. 28.	

(1) (2) (3)

तहसील : पवई

जिला : पन्ना

7.	1. मूल ग्राम—सिमरा खुर्द 2. नवीन ग्राम—टिकुरी प.ह.नं. 33.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.
8.	1. मूल ग्राम—खम्हरिया 2. नवीन ग्राम—महेड़ा प.ह.नं. 40.	
9.	1. मूल ग्राम—खरमोरा 2. नवीन ग्राम—चहली प.ह.नं. 54.	
10.	1. मूल ग्राम—महोड़ 2. नवीन ग्राम—महोड़कला प.ह.नं. 36.	

तहसील : देवेन्द्रनगर

जिला : पन्ना

11.	1. मूल ग्राम—सिलगी 2. नवीन ग्राम—ककरहा प.ह.नं. 33.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.
12.	1. मूल ग्राम—जिगदहा 2. नवीन ग्राम—जिगदही प.ह.नं. 27.	
13.	1. मूल ग्राम—जमुनहाईकलां 2. नवीन ग्राम—बरचुवा प.ह.नं. 01.	
14.	1. मूल ग्राम—राजापुर 2. नवीन ग्राम—दौवन टोला प.ह.नं. 20.	
15.	1. मूल ग्राम—भिलसांय 2. नवीन ग्राम—मझगवां प.ह.नं. 25.	

तहसील : गुनौर

जिला : पन्ना

16.	1. मूल ग्राम—कचनारा 2. नवीन ग्राम—जोधनटोला प.ह.नं. 29.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.
-----	--	--

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
17.	1. मूल ग्राम—धरवारा 2. नवीन ग्राम—भगेपुर प.ह.नं. 53.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.	29.	1. मूल ग्राम—बरकोला 2. नवीन ग्राम—रामपुर खोड़ा प.ह.नं. 28.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.
18.	1. मूल ग्राम—घाटसिमरिया 2. नवीन ग्राम—तालगांव प.ह.नं. 22.		30.	1. मूल ग्राम—मोहाना 2. नवीन ग्राम—निम्हा प.ह.नं. 14.	
19.	1. मूल ग्राम—विल्हा 2. नवीन ग्राम—हनुमतपुरा प.ह.नं. 13.		तहसील : अमानगंज		जिला : पन्ना
20.	1. मूल ग्राम—बंधौरा 2. नवीन ग्राम—पथरहा प.ह.नं. 30.		31.	1. मूल ग्राम—जसवंतपुरा 2. नवीन ग्राम—तिघरा प.ह.नं. 21.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.
21.	1. मूल ग्राम—बिलघाड़ी 2. नवीन ग्राम—लखनपुर 3. नवीन ग्राम—नौराही प.ह.नं. 07		32.	1. मूल ग्राम—तारा 2. नवीन ग्राम—शंकरपुरा प.ह.नं. 24.	
22.	1. मूल ग्राम—मुडवारी 2. नवीन ग्राम—जयपाल नगर 3. नवीन ग्राम—मोटे की मडैयन 4. नवीन ग्राम—गोहद की मडैयन 5. नवीन ग्राम—गरा प.ह.नं. 27.		33.	1. मूल ग्राम—रैगुवां 2. नवीन ग्राम—भोईपुरा प.ह.नं. 05.	
23.	1. मूल ग्राम—तिदुनहाई 2. नवीन ग्राम—साहूपुरा प.ह.नं. 39		34.	1. मूल ग्राम—कोट 2. नवीन ग्राम—विल्हाई प.ह.नं. 46.	
24.	1. मूल ग्राम—राजापुर 2. नवीन ग्राम—भवानीपुर प.ह.नं. 40.		35.	1. मूल ग्राम—सिरी 2. नवीन ग्राम—चाका प.ह.नं. 18.	
25.	1. मूल ग्राम—खरौनी 2. नवीन ग्राम—खरौनी पुरवा प.ह.नं. 43		36.	1. मूल ग्राम—बम्हौरी 2. नवीन ग्राम—मडैयन प.ह.नं. 39.	
26.	1. मूल ग्राम—जिगनी 2. नवीन ग्राम—ब्लदूपुरवा प.ह.नं. 42.		37.	1. मूल ग्राम—टौराह 2. नवीन ग्राम—पुरवा प.ह.नं. 33.	
27.	1. मूल ग्राम—उदयपुर 2. नवीन ग्राम—ढगरी प.ह.नं. 29.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		
28.	1. मूल ग्राम—सहपुरा 2. नवीन ग्राम—गुरदीन पुरवा प.ह.नं. 36.		भोपाल, दिनांक 26 जून 2013		
			क्र. एफ 15-39-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-39-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.		
			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता , अपर सचिव.		

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-39-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Panna District : Panna

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Itwankala 2. New Vill.—Dobhi 3. New Vill.—Madiyan P.H.No.—04.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Panna.
2.	1. Org. Vill.—Tilgawa 2. New Vill.—Katra P.H.No.—25.	
3.	1. Org. Vill.—Ahirgawan 2. New Vill.—Ahirgawan Camp P.H.No.—29.	

Tahsil : Shahnagar District : Panna

4.	1. Org. Vill.—Shahnagar 2. New Vill.—Dharamपुरा P.H.No.—25.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Panna.
5.	1. Org. Vill.—Lamtra 2. New Vill.—Jhinna P.H.No.—28.	
6.	1. Org. Vill.—Ludhgawa 2. New Vill.—Kari Pateri P.H.No.—28.	

Tahsil : Pavai District : Panna

7.	1. Org. Vill.—Simra Khurd 2. New Vill.—Tikuri P.H.No.—33.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Panna.
8.	1. Org. Vill.—Khamhariya 2. New Vill.—Maheda P.H.No.—40.	
9.	1. Org. Vill.—Kharmora 2. New Vill.—Chahli P.H.No.—54.	
10.	1. Org. Vill.—Mahod 2. New Vill.—Mahodkala P.H.No.—36.	

(1) (2) (3)

Tahsil : Devendranagar**District : Panna**

11.	1. Org. Vill.—Silgee 2. New Vill.—Kakarha P.H.No.—33.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Panna.
12.	1. Org. Vill.—Jigdaha 2. New Vill.—Jigdahi P.H.No.—27.	
13.	1. Org. Vill.—Jamunahaikala 2. New Vill.—Barchua P.H.No.—01.	
14.	1. Org. Vill.—Rajapur 2. New Vill.—Dauvan Tola P.H.No.—20.	
15.	1. Org. Vill.—Bhilsai 2. New Vill.—Majhgawan P.H.No.—25.	

Tahsil : Gunnaur**District : Panna**

16.	1. Org. Vill.—Kachnara 2. New Vill.—Jodhantola P.H.No.—29.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Panna.
17.	1. Org. Vill.—Dharwara 2. New Vill.—Bhageपुरा P.H.No.—53.	
18.	1. Org. Vill.—Ghatsimariya 2. New Vill.—Tallgaon P.H.No.—22.	
19.	1. Org. Vill.—Vilha 2. New Vill.—Hanumatपुरा P.H.No.—13.	
20.	1. Org. Vill.—Bandhaura 2. New Vill.—Pathraha P.H.No.—30.	
21.	1. Org. Vill.—Bilghadi 2. New Vill.—Lakhanपुर 3. New Vill.—Naurahi P.H.No.—07.	
22.	1. Org. Vill.—Mudwari 2. New Vill.—Jaipal Nagar 3. New Vill.—Mote Ki Madiyan 4. New Vill.—Gohad Ki Madiyan 5. New Vill.—Garra P.H.No.—27.	
23.	1. Org. Vill.—Tidunhai 2. New Vill.—Sahupura P.H.No.—39.	

(1)	(2)	(3)
Tahsil : Ajaygarh		District : Panna
24. 1. Org. Vill.—Rajapur		Superintendent of Land
2. New Vill.—Bhavanipur		Records (Regular),
P.H.No.—40.		District—Panna.
25. 1. Org. Vill.—Kharauni		
2. New Vill.—Kharauni Purva		
P.H.No.—43.		
26. 1. Org. Vill.—Jigni		
2. New Vill.—Baldupurva		
P.H.No.—42.		
27. 1. Org. Vill.—Udaipur		
2. New Vill.—Dhagri		
P.H.No.—29.		
28. 1. Org. Vill.—Shahpura		
2. New Vill.—Gurdeenpurva		
P.H.No.—36.		
29. 1. Org. Vill.—Barkola		
2. New Vill.—Rampur Khoda		
P.H.No.—28.		
30. 1. Org. Vill.—Muhana		
2. New Vill.—Nimha		
P.H.No.—14.		
Tahsil : Amanganj		District : Panna
31. 1. Org. Vill.—Jaswantpura		Superintendent of Land
2. New Vill.—Tigra		Records (Regular),
P.H.No.—21.		District—Panna.
32. 1. Org. Vill.—Tara		
2. New Vill.—Shankarpura		
P.H.No.—24		
33. 1. Org. Vill.—Raiguwa		
2. New Vill.—Bhoipura		
P.H.No.—05.		
34. 1. Org. Vill.—Koat		
2. New Vill.—Bilhai		
P.H.No.—46.		
35. 1. Org. Vill.—Siri		
2. New Vill.—Chaka		
P.H.No.—18.		
36. 1. Org. Vill.—Bamhori		
2. New Vill.—Madiyan		
P.H.No.—39.		
37. 1. Org. Vill.—Taurah		
2. New Vill.—Purva		
P.H.No.—33.		

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-40-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : बदनावर

जिला : धार

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—बोरदी	अधीक्षक, भू-अभिलेख
	2. नवीन ग्राम—हांडिया कुंडिया.	(नियमित), जिला धार.
	प.ह.नं. 2.	
2.	1. मूल ग्राम—बदनावर	
	2. नवीन ग्राम—भेरूपाड़ा	
	3. नवीन ग्राम—शंभूपाड़ा	
	प.ह.नं. 28.	
3.	1. मूल ग्राम—रेशमगारा	
	2. नवीन ग्राम—गोधर्नपुरा	
	प.ह.नं. 49	
4.	1. मूल ग्राम—नागझिरी	
	2. नवीन ग्राम—नेवरीपाड़ा	
	प.ह.नं. 50.	
5.	1. मूल ग्राम—शेरगढ़	
	2. नवीन ग्राम—माधवगढ़	
	प.ह.नं. 52.	
5.	1. मूल ग्राम—कड़ोदकला	
	2. नवीन ग्राम—साहबनगर	
	प.ह.नं. 61.	
7.	1. मूल ग्राम—चिराखान	
	2. नवीन ग्राम—मानपुरा	
	प.ह.नं. 54.	

तहसील : धरमपुरी

जिला : धार

8.	1. मूल ग्राम—तारापुर	अधीक्षक, भू-अभिलेख
	2. नवीन ग्राम—गवल्यावाड़ी	(नियमित), जिला धार.
	3. नवीन ग्राम—कालीकिराय	
	प.ह.नं. 3.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9.	1. मूल ग्राम—उमरिया 2. नवीन ग्राम—निगुडियापुरा प.ह.नं. 5.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला धार.	23.	1. मूल ग्राम—रिंगनोद 2. नवीन ग्राम—रतनपुरा 3. नवीन ग्राम—उण्डेल प.ह.नं. 53.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला धार.
10.	1. मूल ग्राम—मेहगांव 2. नवीन ग्राम—बैंकपुरा प.ह.नं. 28.		24.	1. मूल ग्राम—जौलाना 2. नवीन ग्राम—रघुनाथपुरा 3. नवीन ग्राम—नहारपुरा प.ह.नं. 23.	
11.	1. मूल ग्राम—वगवान्या 2. नवीन ग्राम—बंजारीपुरा 3. नवीन ग्राम—गाडियादगगाड़ प.ह.नं. 6.		25.	1. मूल ग्राम—बोडिया 2. नवीन ग्राम—मसारपाड़ा प.ह.नं. 21.	
12.	1. मूल ग्राम—ढापला 2. नवीन ग्राम—बंजारापुरा प.ह.नं. 16.		26.	1. मूल ग्राम—देदला 2. नवीन ग्राम—फुलकीपाड़ा 3. नवीन ग्राम—कुलड़ीपाड़ा प.ह.नं. 24.	
13.	1. मूल ग्राम—सिरसोदिया 2. नवीन ग्राम—लालबाग प.ह.नं. 14.		27.	1. मूल ग्राम—गुमानपुरा 2. नवीन ग्राम—ढाकणवारी प.ह.नं. 46.	
14.	1. मूल ग्राम—बलवारी 2. नवीन ग्राम—खोखरिया प.ह.नं. 22.		28.	1. मूल ग्राम—रूणी 2. नवीन ग्राम—विड़पाड़ा प.ह.नं. 7.	
15.	1. मूल ग्राम—डहीवर 2. नवीन ग्राम—मांगबयड़ा प.ह.नं. 23.		29.	1. मूल ग्राम—सलवा 2. नवीन ग्राम—खाकरियाघाट प.ह.नं. 11.	
तहसील : मनावर		जिला : धार			
16.	1. मूल ग्राम—खंडलाई 2. नवीन ग्राम—रावतपुरा प.ह.नं. 7.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला धार.	30.	1. मूल ग्राम—वरमण्डल 2. नवीन ग्राम—नहारखोदरा प.ह.नं. 17.	
17.	1. मूल ग्राम—लुन्हेरा 2. नवीन ग्राम—जुलवानिया प.ह.नं. 6.		31.	1. मूल ग्राम—लाबरिया 2. नवीन ग्राम—बोरदीकलां प.ह.नं. 12.	
18.	1. मूल ग्राम—कालीबाबड़ी 2. नवीन ग्राम—जामनझीरी प.ह.नं. 95.		32.	1. मूल ग्राम—चालनी 2. नवीन ग्राम—सुनेड़ी प.ह.नं. 92.	
तहसील : सरदारपुर		जिला : धार			
19.	1. मूल ग्राम—महापुरा 2. नवीन ग्राम—पानपुरा प.ह.नं. 28.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला धार.	33.	1. मूल ग्राम—सल्लानपुरा 2. नवीन ग्राम—सेमलीपुरा प.ह.नं. 96.	
20.	1. मूल ग्राम—टीमायची 2. नवीन ग्राम—कुमाररुण्डी 3. नवीन ग्राम—वीड़पाड़ा प.ह.नं. 26.		तहसील : डही		जिला : धार
21.	1. मूल ग्राम—हनुमत्या पदमपुरा 2. नवीन ग्राम—हनुमत्या मोंगजीपाड़ा प.ह.नं. 65.		34.	1. मूल ग्राम—धरमराय 2. नवीन ग्राम—धरमरायकुंआ प.ह.नं. 43.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला धार.
22.	1. मूल ग्राम—लेडगांव 2. नवीन ग्राम—दौलतपुरा प.ह.नं. 72.		तहसील : कुक्षी		जिला : धार
			35.	1. मूल ग्राम—आली 2. नवीन ग्राम—सुस्तीपुरा प.ह.नं. 70.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला धार.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
36.	1. मूल ग्राम—कापसी 2. नवीन ग्राम—चिलवा प.ह.नं. 77.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला धार.	2.	1. Org. Vill.—Badnawar 2. New Vill.—Bherupada 3. New Vill.—Shambhupada P.H.No.—28.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.
37.	1. मूल ग्राम—भवरिया 2. नवीन ग्राम—हेलादड प.ह.नं. 107.		3.	1. Org. Vill.—Reshamgara 2. New Vill.—Gordhanpura P.H.No.—49.	
38.	1. मूल ग्राम—लोणी 2. नवीन ग्राम—चोरखावड़ी प.ह.नं. 89.		4.	1. Org. Vill.—Nagihiri 2. New Vill.—Nevruipada P.H.No.—50.	
39.	1. मूल ग्राम—सुलगांव 2. नवीन ग्राम—जयनगर प.ह.नं. 98.		5.	1. Org. Vill.—Shergar 2. New Vill.—Madhavgar P.H.No.—52.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-40-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-40-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-40-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Badnawar

District : Dhar

S. No.	Name of original Village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Bordi 2. New Vill.—Handiya Kundiya. P.H.No.—2.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.

Tahsil : Dharampuri

District : Dhar

8.	1. Org. Vill.—Tarapur 2. New Vill.—Gavliyavadi 3. New Vill.—Kalikirai P.H.No.—3.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.
9.	1. Org. Vill.—Umariya 2. New Vill.—Nirgudiyapura P.H.No.—05.	
10.	1. Org. Vill.—Mehgaon 2. New Vill.—Bankpura P.H.No.—28.	
11.	1. Org. Vill.—Bagwaniya 2. New Vill.—Banjaripura 3. New Vill.—Gadryadagad P.H.No.—6.	
12.	1. Org. Vill.—Dhapla 2. New Vill.—Banjarapura P.H.No.—16.	
13.	1. Org. Vill.—Sirsodiya 2. New Vill.—Lalbag P.H.No.—14.	
14.	1. Org. Vill.—Balwari 2. New Vill.—Khokhriya P.H.No.—22.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
15.	1. Org. Vill.—Dahiver 2. New Vill.—Mangbaida P.H.No.—23.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.	27.	1. Org. Vill.—Gumanpura 2. New Vill.—Dhakanvari P.H.No.—46.	
Tahsil : Manawar			District : Dhar		
16.	1. Org. Vill.—Khandlai 2. New Vill.—Ravatpura P.H.No.—07.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.	28.	1. Org. Vill.—Runi 2. New Vill.—Bedpada P.H.No.—07.	
17.	1. Org. Vill.—Lunhera 2. New Vill.—Julvaniya P.H.No.—06.		29.	1. Org. Vill.—Salwa 2. New Vill.—Khakriyaghat P.H.No.—11.	
18.	1. Org. Vill.—Kalibawadi 2. New Vill.—Jamanjhiri P.H.No.—95.		30.	1. Org. Vill.—Barmandal 2. New Vill.—Naharkhodra P.H.No.—17.	
Tahsil : Sardarpur			District : Dhar		
19.	1. Org. Vill.—Mahapura 2. New Vill.—Panpura P.H.No.—28.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.	31.	1. Org. Vill.—Labriya 2. New Vill.—Bordikala P.H.No.—12.	
20.	1. Org. Vill.—Timaychi 2. New Vill.—Kumar Rundi 3. New Vill.—Beedpada P.H.No.—26.		32.	1. Org. Vill.—Chaini 2. New Vill.—Sunedi P.H.No.—92.	
21.	1. Org. Vill.—Hamumantiya Padampura 2. New Vill.—Hanumantiya Moglipada P.H.No.—65.		33.	1. Org. Vill.—Sultanpura 2. New Vill.—Semlipura P.H.No.—96.	
22.	1. Org. Vill.—Ledgaon 2. New Vill.—Doulatpura P.H.No.—72.		Tahsil : Dahee		
23.	1. Org. Vill.—Ringnod 2. New Vill.—Ratanpura 3. New Vill.—Undel P.H.No.—53.		34.	1. Org. Vill.—Dharamrai 2. New Vill.—Dharamrai Kuan. P.H.No.—43.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.
24.	1. Org. Vill.—Jolana 2. New Vill.—Raghunathpura 3. New Vill.—Naharpura P.H.No.—23.		Tahsil : Kukshee		
25.	1. Org. Vill.—Bodiya 2. New Vill.—Masarpada P.H.No.—21.		35.	1. Org. Vill.—Aali 2. New Vill.—Sustipura P.H.No.—70.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.
26.	1. Org. Vill.—Dedla 2. New Vill.—Fulkipada 3. New Vill.—Kuldipada P.H.No.—24.		36.	1. Org. Vill.—Kapsi 2. New Vill.—Chilwa P.H.No.—77.	
			37.	1. Org. Vill.—Bhavriya 2. New Vill.—Heladad P.H.No.—107.	
			38.	1. Org. Vill.—Loni 2. New Vill.—Chorbawadi P.H.No.—89.	

(1)	(2)	(3)
39. 1. Org. Vill.—Sulgaon 2. New Vill.—Jaynagar P.H.No.—98.		Superintendent of Land Records (permanent), District—Dhar.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

एफ क्र. 15-07-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : आरोन	जिला : गुना	
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—कस्वा मंडी 2. नवीन ग्राम—जामुन टांडा प.ह.नं. 48.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला गुना.
2.	1. मूल ग्राम—झाड़ौन 2. नवीन ग्राम—तमेडी प.ह.नं. 15.	
3.	1. मूल ग्राम—रूसिया 2. नवीन ग्राम—तिन्दारी प.ह.नं. 05.	
4.	1. मूल ग्राम—कुदौली 2. नवीन ग्राम—परासरी प.ह.नं. 42.	

तहसील : राधोगढ़	जिला : गुना	
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
5.	1. मूल ग्राम—धरनावदा 2. नवीन ग्राम—लक्ष्मणपुरा प.ह.नं. 3.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला गुना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

क्र. एफ 15-07-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-07-2013-सात-6, दिनांक 27 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th June 2013

F. No. 15-07-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of :—

SCHEDULE

Tahsil : Aron	District : Guna	
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Kaswamandi 2. New Vill.—Jamun Tanda P.H.No.—48.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Guna.
2.	1. Org. Vill.—Jhajon 2. New Vill.—Tamedi P.H.No.—15.	
3.	1. Org. Vill.—Rusiya 2. New Vill.—Thindari P.H.No.—05.	
4.	1. Org. Vill.—Kundoli 2. New Vill.—Parasari P.H.No.—42.	

Tahsil : Raghogarh	District : Guna	
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
5.	1. Org. Vill.—Dharnawada 2. New Vill.—Laxmanpura P.H.No.—03.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Guna.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

एफ क्र. 15-28-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : छतरपुर

जिला : छतरपुर

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01.	01. मूल ग्राम—नंदगांयकला 02. नवीन ग्राम—लक्ष्मनपुरा प.ह.नं. 07.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर.
02.	01. मूल ग्राम—टुडर 02. नवीन ग्राम—श्यामाझोर प.ह.नं. 11.	
03.	01. मूल ग्राम—महेबा 02. नवीन ग्राम—तोरना प.ह.नं. 13.	
04.	01. मूल ग्राम—पनौठा 02. नवीन ग्राम—वाजनापुरवा प.ह.नं. 26.	
05.	01. मूल ग्राम—गहरवार 02. नवीन ग्राम—रामनगर प.ह.नं. 27.	
06.	01. मूल ग्राम—पहाड़गांव 02. नवीन ग्राम—पचलोरन पुरवा प.ह.नं. 28.	
07.	01. मूल ग्राम—कांटी 02. नवीन ग्राम—रामनगर प.ह.नं. 64.	
08.	01. मूल ग्राम—करारागंज 02. नवीन ग्राम—गंज प.ह.नं. 16.	

(1)

(2)

(3)

09.	01. मूल ग्राम—अलीपुरा 02. नवीन ग्राम—धरमपुरा प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर.
10.	01. मूल ग्राम—सहानिया 02. नवीन ग्राम—माधवपुर प.ह.नं. 35.	
11.	01. मूल ग्राम—सिगरावनखुर्द 02. नवीन ग्राम—ददरी प.ह.नं. 38.	
12.	01. मूल ग्राम—लुगासी 02. नवीन ग्राम—भैरोगंज प.ह.नं. 45.	

तहसील : राजनगर

जिला: छतरपुर

13.	01. मूल ग्राम—डुमरा 02. नवीन ग्राम—रानीपुरा प.ह.नं. 01.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर.
14.	01. मूल ग्राम—ललपुर 02. नवीन ग्राम—चितौरापुरवा प.ह.नं. 13.	
15.	01. मूल ग्राम—दलपतपुरा 02. नवीन ग्राम—गुनापुरवा प.ह.नं. 16.	
16.	01. मूल ग्राम—पिपट 02. नवीन ग्राम—रखेलपुरवा प.ह.नं. 20.	
17.	01. मूल ग्राम—सिंगरो 02. नवीन ग्राम—बराई प.ह.नं. 27.	
18.	01. मूल ग्राम—कदौहा 02. नवीन ग्राम—रिछाई प.ह.नं. 44.	
19.	01. मूल ग्राम—कुटिया 02. नवीन ग्राम—टपरियन प.ह.नं. 47.	
20.	01. मूल ग्राम—भुसौर 02. नवीन ग्राम—मझौटा प.ह.नं. 55.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
21.	01. मूल ग्राम—झमटुली 02. नवीन ग्राम—श्यामरा प.ह.नं. 56.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर.	32.	01. मूल ग्राम—बंधा 02. नवीन ग्राम—पिपरा प.ह.नं. 06.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर.
22.	01. मूल ग्राम—टिकुरी 02. नवीन ग्राम—कोंदरपुरा 03. नवीन ग्राम—गड़पुरा प.ह.नं. 67.		33.	01. मूल ग्राम—बरेठी 02. नवीन ग्राम—चपकन प.ह.नं. 19.	
23.	01. मूल ग्राम—चंद्रनगर 02. नवीन ग्राम—चुरारन प.ह.नं. 78.		34.	01. मूल ग्राम—फुटवारी 02. नवीन ग्राम—सुकरयाल प.ह.नं. 21.	
तहसील : गौरिहार			जिला: छतरपुर		
24.	01. मूल ग्राम—जैबरन 02. नवीन ग्राम—संतोषपुरवा प.ह.नं. 31.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर.	35.	01. मूल ग्राम—मनकारी 02. नवीन ग्राम—चैनपुरा प.ह.नं. 27.	
25.	01. मूल ग्राम—गहवरा 02. नवीन ग्राम—हिनीती प.ह.नं. 34.		36.	1. मूल ग्राम—अनगौर 2. नवीन ग्राम—बकशी का पुरवा, प.ह.नं. 7.	
26.	01. मूल ग्राम—पहरा 02. नवीन ग्राम—रावपुर प.ह.नं. 38.		37.	1. मूल ग्राम—रगौली 2. नवीन ग्राम—मोटे का पुरवा प.ह.नं. 27	
तहसील : चंदला			जिला : छतरपुर		
27.	01. मूल ग्राम—पड़वार 02. नवीन ग्राम—परिसितपुर प.ह.नं. 41.		38.	1. मूल ग्राम—बछौन 2. नवीन ग्राम—गड़पुर प.ह.नं. 37.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर
28.	01. मूल ग्राम—निधौली 02. नवीन ग्राम—उर्दीपुरवा प.ह.नं. 43.		तहसील : घुवारा		
29.	01. मूल ग्राम—सीलप 02. नवीन ग्राम—देवपुरवा प.ह.नं. 44.		39.	1. मूल ग्राम—बछरावनी 2. नवीन ग्राम—पुतरीखेरा प.ह.नं. 01	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर
30.	01. मूल ग्राम—ठकुरां 02. नवीन ग्राम—बेनीपुर 03. नवीन ग्राम—बड़नपुर प.ह.नं. 45.		40.	1. मूल ग्राम—रामटोरिया 2. नवीन ग्राम—गुन्जौरा प.ह.नं. 13.	
तहसील : बडामल्हारा			जिला : छतरपुर		
31.	01. मूल ग्राम—मौरां 02. नवीन ग्राम—बंधियन प.ह.नं. 04.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला छतरपुर.	41.	1. मूल ग्राम—बमनौराकला 2. नवीन ग्राम—बहादुरपुर प.ह.नं. 15.	
			42.	1. मूल ग्राम—भेल्दा 2. नवीन ग्राम—अगरोठा प.ह.नं. 18.	

Bhopal, the 27th June 2013

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| | (1) | (2) | (3) |
| 43. | 1. मूल ग्राम—भोयरा
2. नवीन ग्राम—नयाखेरा
प.ह.नं. 21. | | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित) जिला छतरपुर |
| 44. | 1. मूल ग्राम—सफनपट्टी
2. नवीन ग्राम—बदेलनखेरा
प.ह.नं. 30. | | |

No. 15-28-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

तहसील : महाराजपुर

जिला : छतरपुर

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| | (1) | (2) | (3) |
| 45. | 1. मूल ग्राम—ऊजरा
2. नवीन ग्राम—पृथ्वीपुर
प.ह.नं. 01. | | अधीक्षक, भू-अभिलेख,
(नियमित) जिला छतरपुर |
| 46. | 1. मूल ग्राम—कुराहा
2. नवीन ग्राम—गनेशपुरा बड़ा
नवीन ग्राम—शिवपुरा.
प.ह.नं. 02. | | |
| 47. | 1. मूल ग्राम—बेदार
2. नवीन ग्राम—मझगवां
3. नवीन ग्राम—कनेरा
प.ह.नं. 10. | | |
| 48. | 1. मूल ग्राम—फुलारी
2. नवीन ग्राम—मडा का पुरवा
प.ह.नं. 28 | | |
| 49. | 1. मूल ग्राम—मटौंथा बेसन
2. नवीन ग्राम—दीवान जू का पुरवा
प.ह.नं. 32. | | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2013

पृ. क्र. एफ 15-28-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-28-2013-सात-6, दिनांक 27 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Tahsil : Chhatarpur

District : Chhatarpur

- | | | | |
|--|--------|---|---|
| | S. No. | Name of original
village | Designation of the Officer
authorized to prepare
record of rights |
| | (1) | (2) | (3) |
| | 1. | 01. Org. Vill.—Nandgayankala
02. New Vill.—Laxmanpura
P.H.No.—07. | Superintendent of
Land Records
(Regular),
District—Chhatarpur |
| | 2. | 01. Org. Vill.—Tudar
02. New Vill.—Shyamjhor
P.H.No.—11. | |
| | 3. | 01. Org. Vill.—Maheba
02. New Vill.—Torana
P.H.No.—13. | |
| | 4. | 01. Org. Vill.—Panoutha
02. New Vill.—Bajnapurwa
P.H.No.—26. | |
| | 5. | 01. Org. Vill.—Gaharwar
02. New Vill.—Ramnagar
P.H.No.—27. | |
| | 6. | 01. Org. Vill.—Pahargaun
02. New Vill.—Pachloranpurwa
P.H.No.—28. | |
| | 7. | 01. Org. Vill.—Kanti
02. New Vill.—Ramnagar
P.H.No.—64. | |
| | 8. | 01. Org. Vill.—Kararaganj
02. New Vill.—Ganj
P.H.No.—16. | |
| | 9. | 01. Org. Vill.—Alipura
02. New Vill.—Dharamपुरा
P.H.No.—18. | |

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10.	01. Org. Vill.—Sahania 02. New Vill.—Madhopur P.H.No.—35.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur	21.	01. Org. Vill.—Jhamtili 02. New Vill.—Shyamra P.H.No.—56.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur
11.	01. Org. Vill.—Sigrawankhurd 02. New Vill.—Dadari P.H.No.—38.		22.	01. Org. Vill.—Tikuri 02. New Vill.—Kondarpura 03. New Vill.—Gadarpura P.H.No.—67.	
12.	01. Org. Vill.—Lugasi 02. New Vill.—Bheroganj P.H.No.—45.		23.	01. Org. Vill.—Chandranagar 02. New Vill.—Chuaran P.H.No.—78.	
Tahsil : Rajnagar		District : Chhatarpur	Tahsil : Gourihar		District : Chhatarpur
13.	01. Org. Vill.—Dumara 02. New Vill.—Ranipura P.H.No.—01.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur	24.	01. Org. Vill.—Jaibaran 02. New Vill.—Santoshpurwa P.H.No.—31.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur
14.	01. Org. Vill.—Lalpur 02. New Vill.—Chitorapurwa P.H.No.—13.		25.	01. Org. Vill.—Gahawara 02. New Vill.—Hinouti P.H.No.—34.	
15.	01. Org. Vill.—Dalpatpura 02. New Vill.—Gunarpurwa P.H.No.—16.		26.	01. Org. Vill.—Pahara 02. New Vill.—Raopur P.H.No.—38.	
16.	01. Org. Vill.—Pipat 02. New Vill.—Rakhelapurwa P.H.No.—20.		27.	01. Org. Vill.—Padwar 02. New Vill.—Parisitpura P.H.No.—41.	
17.	01. Org. Vill.—Singro 02. New Vill.—Barrai P.H.No.—27.		28.	01. Org. Vill.—Nidhouli 02. New Vill.—Urdipurwa P.H.No.—43.	
18.	01. Org. Vill.—Kadonha 02. New Vill.—Rachhai P.H.No.—44.		29.	01. Org. Vill.—Seelap 02. New Vill.—Devpurwa P.H.No.—44.	
19.	01. Org. Vill.—Kutiya 02. New Vill.—Tapriyan P.H.No.—47.		30.	01. Org. Vill.—Thakurra 02. New Vill.—Benipur 03. New Vill.—Badanpur P.H.No.—45.	
Tahsil : Badamalahara		District : Chhatarpur	Tahsil : Badamalahara		District : Chhatarpur
20.	01. Org. Vill.—Bhusour 02. New Vill.—Majhouta P.H.No.—55.		31.	01. Org. Vill.—Mourra 02. New Vill.—Bandhiyan P.H.No.—04	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
32.	01. Org. Vill.—Bandha 02. New Vill.—Pipara P.H.No.—06.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur	44.	01. Org. Vill.—Safanpatti 02. New Vill.—Badelankhera P.H.No.—30.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur
33.	01. Org. Vill.—Barethi 02. New Vill.—Chapakan P.H.No.—19.		45.	01. Org. Vill.—Oojara 02. New Vill.—Prathavipur P.H.No.—01.	
34.	01. Org. Vill.—Futwari 02. New Vill.—Sukaryal P.H.No.—21.		46.	01. Org. Vill.—Kurraha 02. New Vill.—Ganeshpura Bada 03. New Vill.—Shivpura P.H.No.—10.	
35.	01. Org. Vill.—Mankari 02. New Vill.—Chainpura P.H.No.—27.		47.	01. Org. Vill.—Bedar 02. New Vill.—Majhgawan 03. New Vill.—Kanera P.H.No.—10.	
36.	01. Org. Vill.—Angour 02. New Vill.—Baxi ka purwa P.H.No.—07.		48.	01. Org. Vill.—Fulari 02. New Vill.—Mada ka purwa P.H.No.—28.	
37.	01. Org. Vill.—Raghuli 02. New Vill.—Mote ka purwa P.H.No.—27.		49.	01. Org. Vill.—Matondhabesan 02. New Vill.—Diwanju ka purwa P.H.No.—32.	
Tahsil : Chandala		District : Chhatarpur	By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.		
38.	01. Org. Vill.—Bachhoun 02. New Vill.—Gadarpura P.H.No.—37.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur	भोपाल, दिनांक 27 जून 2013		
Tahsil : Ghuwara		District : Chhatarpur	एफ क्र. 15-41-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—		
39.	01. Org. Vill.—Bachhrawani 02. New Vill.—Putrikhera P.H.No.—01.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Chhatarpur	अनुसूची		
40.	01. Org. Vill.—Ramtouriya 02. New Vill.—Gunjoura P.H.No.—13.		तहसील : चिचोली जिला : बैतूल		
41.	01. Org. Vill.—Bamnourakala 02. New Vill.—Bahadurpur P.H.No.—15.		क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
42.	01. Org. Vill.—Bhelda 02. New Vill.—Agrautha P.H.No.—18.		(1)	(2)	(3)
43.	01. Org. Vill.—Bhoyara 02. New Vill.—Nayakhera P.H.No.—21.		1.	01. मूल ग्राम—झिरियाडोह 02. नवीन ग्राम—चिट्टपुर प.ह.नं. 02.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बैतूल.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2.	01. मूल ग्राम—चिरापाटला 02. नवीन ग्राम—झिरनाबनूढाना प.ह.नं. 08	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बैतूल.	13.	01. मूल ग्राम—सिवनपाट 02. नवीन ग्राम—निरगुड़ढाना प.ह.नं. 31.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बैतूल.
3.	01. मूल ग्राम—चुरनी 02. नवीन ग्राम—सुकलढाना प.ह.नं. 09.		14.	01. मूल ग्राम—टिपनापुर 02. नवीन ग्राम—खटगड़ढाना प.ह.नं. 33.	
4.	01. मूल ग्राम—पाठाखेड़ा 02. नवीन ग्राम—टाढर प.ह.नं. 12.		15.	01. मूल ग्राम—कोयलारी 02. नवीन ग्राम—घोडंगढाना प.ह.नं. 09.	
5.	01. मूल ग्राम—चुनाहजुरी 02. नवीन ग्राम—खापाढाना प.ह.नं. 15.		16.	01. मूल ग्राम—हिडली 02. नवीन ग्राम—गडराढाना प.ह.नं. 43.	
6.	01. मूल ग्राम—उचागोहान 02. नवीन ग्राम—सौतखेड़ा प.ह.नं. 32.		17.	01. मूल ग्राम—भैंसाघाट 02. नवीन ग्राम—सालईढाना प.ह.नं. 01.	
7.	01. मूल ग्राम—चुडिया 02. नवीन ग्राम—साबाढाना प.ह.नं. 32.		18.	01. मूल ग्राम—रजोला 02. नवीन ग्राम—खोदरी प.ह.नं. 01.	
8.	01. मूल ग्राम—दुधिया 02. नवीन ग्राम—अक्तिखेड़ा प.ह.नं. 23.		19.	01. मूल ग्राम—देहगुड़ 02. नवीन ग्राम—नयेगांव प.ह.नं. 04.	
9.	01. मूल ग्राम—जोगली 02. नवीन ग्राम—मिर्जापुर प.ह.नं. 33.		20.	01. मूल ग्राम—चौगढ़ 02. नवीन ग्राम—लोपईढाना प.ह.नं. 05.	
10.	01. मूल ग्राम—नहरपुर 02. नवीन ग्राम—ईमलीढाना प.ह.नं. 32.		21.	01. मूल ग्राम—बोथी 02. नवीन ग्राम—कोकाढाना प.ह.नं. 11.	
तहसील : आठनेर		जिला : बैतूल			
11.	01. मूल ग्राम—टेमनी 02. नवीन ग्राम—पातदाढाना प.ह.नं. 13.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला बैतूल.	22.	01. मूल ग्राम—अम्बाड़ा 02. नवीन ग्राम—नवीन अम्बाड़ा प.ह.नं. 12.	
12.	01. मूल ग्राम—पानबेहरा 02. नवीन ग्राम—सेरीढाना प.ह.नं. 44.		23.	01. मूल ग्राम—ऐनखेड़ी 02. नवीन ग्राम—पिपलदरी प.ह.नं. 16.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
तहसील : घोड़ा डोंगरी			जिला : बैतूल		
24.	01. मूल ग्राम—मलसिवनी 02. नवीन ग्राम—ग्वाड़ीढाना प.ह.नं. 32.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला बैतूल.	34.	01. मूल ग्राम—इटावा 02. नवीन ग्राम—स्टेशनढाना प.ह.नं. 54.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बैतूल.
तहसील : आमला			जिला : बैतूल		
25.	01. मूल ग्राम—ससाबड़ 02. नवीन ग्राम—मोरनढाना प.ह.नं. 08.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला बैतूल.	35.	01. मूल ग्राम—खजरी 02. नवीन ग्राम—गाडरीढाना प.ह.नं. 59.	
26.	01. मूल ग्राम—बारंगबाड़ी 02. नवीन ग्राम—गजाढाना 03. नवीन ग्राम—सरेकाडोल प.ह.नं. 24		36.	01. मूल ग्राम—विसखान 02. नवीन ग्राम—बलढाना प.ह.नं. 67.	
27.	01. मूल ग्राम—लिखड़ी 02. नवीन ग्राम—भोडदेहीढाना प.ह.नं. 25.		37.	01. मूल ग्राम—तरोड़ाबुजुर्ग 02. नवीन ग्राम—मोरनढाना 03. नवीन ग्राम—कप्पीढाना प.ह.नं. 65	
28.	01. मूल ग्राम—छिपन्यापिपरिया 02. नवीन ग्राम—गोलढाना प.ह.नं. 26.		38.	01. मूल ग्राम—गुबरेल 02. नवीन ग्राम—लालढाना प.ह.नं. 68	
29.	01. मूल ग्राम—सोनतलाई 02. नवीन ग्राम—समरतढाना प.ह.नं. 35.		39.	01. मूल ग्राम—लीलाझर 02. नवीन ग्राम—पाढ़रीढाना प.ह.नं. 69.	
30.	01. मूल ग्राम—सोनोलीबुण्डला 02. नवीन ग्राम—जामुनझिरी प.ह.नं. 36.		40.	01. मूल ग्राम—सोमलापुर 02. नवीन ग्राम—बेलढाना प.ह.नं. 43.	
31.	01. मूल ग्राम—कोठियारैयत 02. नवीन ग्राम—गोपालढाना प.ह.नं. 49.		तहसील : मुलताई		जिला : बैतूल
32.	01. मूल ग्राम—चिखलार 02. नवीन ग्राम—सन्तुढाना प.ह.नं. 49.		41.	01. मूल ग्राम—डहुआ 02. नवीन ग्राम—डहुआ ढाना प.ह.नं. 49.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला बैतूल.
33.	01. मूल ग्राम—कलमेश्वरा 02. नवीन ग्राम—बोदूडढाना प.ह.नं. 50.		42.	01. मूल ग्राम—घाटपिपरिया 02. नवीन ग्राम—मुण्डापार 03. नवीन ग्राम—डोलढाना प.ह.नं. 63.	
			43.	01. मूल ग्राम—खड़की 02. नवीन ग्राम—पांढरीढाना प.ह.नं. 78.	

(1)	(2)	(3)
तहसील : भैंसदेही		जिला : बैतूल
44.	01. मूल ग्राम—चोहटापोपटी 02. नवीन ग्राम—पोपटी प.ह.नं. 15.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला बैतूल.
45.	01. मूल ग्राम—चूनालोहमा 02. नवीन ग्राम—पिपरियाढाना 03. नवीन ग्राम—धावड़ाखार प.ह.नं. 19.	
46.	01. मूल ग्राम—मच्छी 02. नवीन ग्राम—खोदरी प.ह.नं. 22.	
47.	01. मूल ग्राम—झल्लार 02. नवीन ग्राम—कामठीढाना प.ह.नं. 23.	
48.	01. मूल ग्राम—धार 02. नवीन ग्राम—हरिमउढाना प.ह.नं. 36.	
49.	01. मूल ग्राम—पलासपानी 02. नवीन ग्राम—गोबरगांदी प.ह.नं. 42.	
50.	01. मूल ग्राम—कोरड़ी 02. नवीन ग्राम—पिपरीढाना 03. नवीन ग्राम—गोलानढाना प.ह.नं. 42.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-41-2013-सात-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-41-2013-सात-6, दिनांक 27 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th June 2013

F.No. 15-41-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Chicholi

District : Betul

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Jhiriyadoh 2. New Vill.—Chittupura P.H.No.—02.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Betul.
2.	1. Org. Vill.—Chirapatla 2. New Vill.—Jhirnabannudhana P.H.No.—08.	
3.	1. Org. Vill.—Churni 2. New Vill.—Sukkaldhana P.H.No.—09.	
4.	1. Org. Vill.—Patakheda 2. New Vill.—Tadhar P.H.No.—12.	
5.	1. Org. Vill.—Chunahajuri 2. New Vill.—Khapadhana P.H.No.—15.	
6.	1. Org. Vill.—Uchagohan 2. New Vill.—Sautkheda P.H.No.—32.	
7.	1. Org. Vill.—Chudiya 2. New Vill.—Sabadhana P.H.No.—32.	
8.	1. Org. Vill.—Dudhiya 2. New Vill.—Aktikheda P.H.No.—23.	
9.	1. Org. Vill.—Jogli 2. New Vill.—Mirjapur P.H.No.—33.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Tahsil : Chicholi			Tahsil : Athner		
District : Betul			District : Betul		
10.	1. Org. Vill.—Naharpur 2. New Vill.—Imlidhana P.H.No.—32.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .	21.	1. Org. Vill.—Bothi 2. New Vill.—Kokadhana P.H.No.—11.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .
Tahsil : Aathner			Tahsil : Ghoda Dongri		
District : Betul			District : Betul		
11.	1. Org. Vill.—Temni 2. New Vill.—Patada P.H.No.—13.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .	22.	1. Org. Vill.—Ambada 2. New Vill.—Naveen Ambada P.H.No.—12.	
12.	1. Org. Vill.—Panbehara 2. New Vill.—Siaridhana P.H.No.—44.		23.	1. Org. Vill.—Enkhedi 2. New Vill.—Pipaldari P.H.No.—16.	
13.	1. Org. Vill.—Sivanpath 2. New Vill.—Nirgundhana P.H.No.—31.		Tahsil : Amla		
14.	1. Org. Vill.—Tipnapur 2. New Vill.—Khatgadh P.H.No.—33.		District : Betul		
15.	1. Org. Vill.—Koyalari 2. New Vill.—Ghodanga P.H.No.—09.		24.	1. Org. Vill.—Malshivni 2. New Vill.—Gawadidhana P.H.No.—32.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .
16.	1. Org. Vill.—Hidli 2. New Vill.—Gadaradhana P.H.No.—43.		Tahsil : Sasabad		
17.	1. Org. Vill.—Bhashaghat 2. New Vill.—Salaidhana P.H.No.—01.		District : Betul		
18.	1. Org. Vill.—Rajola 2. New Vill.—Khodri P.H.No.—01.		25.	1. Org. Vill.—Sasabad 2. New Vill.—Morandhana P.H.No.—08.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .
19.	1. Org. Vill.—Dehgud 2. New Vill.—Nayegao P.H.No.—04.		26.	1. Org. Vill.—Barangwadi 2. New Vill.—Gajadhana 3. New Vill.—Sarekadhol P.H.No.—24.	
20.	1. Org. Vill.—Chaugadh 2. New Vill.—Lopaidhana P.H.No.—05.		27.	1. Org. Vill.—Likhadi 2. New Vill.—Bodhedehidhana P.H.No.—25.	
			28.	1. Org. Vill.—Chipanyipariya 2. New Vill.—Goldhana P.H.No.—26.	
			29.	1. Org. Vill.—Sontalai 2. New Vill.—Samaratdhana P.H.No.—35.	
			30.	1. Org. Vill.—Sonolibundala 2. New Vill.—Jamunjhiri P.H.No.—36.	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
31.	1. Org. Vill.—Kothiya Raiyat 2. New Vill.—Gopaldhana P.H.No.—49.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .	Tahsil : Multai		District : Betul
32.	1. Org. Vill.—Chikhlar 2. New Vill.—Santudhana P.H.No.—49.		41.	1. Org. Vill.—Dahua 2. New Vill.—Dahua Dhana P.H.No.—49.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .
33.	1. Org. Vill.—Kalmeshwara 2. New Vill.—Bodhuddhana P.H.No.—50.		42.	1. Org. Vill.—Ghatpipariya 2. New Vill.—Mundapaar 3. New Vill.—Dholdhana P.H.No.—63.	
34.	1. Org. Vill.—Itava 2. New Vill.—Stationdhana P.H.No.—54.		43.	1. Org. Vill.—Khadki 2. New Vill.—Pandhrithana P.H.No.—78.	
35.	1. Org. Vill.—Khajree 2. New Vill.—Gadridhana P.H.No.—59.		Tahsil : Bhensdehi		District : Betul
36.	1. Org. Vill.—Biskhan 2. New Vill.—Baldhana P.H.No.—67.		44.	1. Org. Vill.—Chohota popti 2. New Vill.—Popti P.H.No.—15.	Superintendent of Land Records (Regular), District— Betul .
37.	1. Org. Vill.—Taroda bujurg 2. New Vill.—Morandhana 3. New Vill.—Kappidhana P.H.No.—65.		45.	1. Org. Vill.—Chunalohma 2. New Vill.—Pipariya 3. New Vill.—Dhawadakhar P.H.No.—19.	
38.	1. Org. Vill.—Gubrail 2. New Vill.—Laldhana P.H.No.—68.		46.	1. Org. Vill.—Machchi 2. New Vill.—Khodari P.H.No.—22.	
39.	1. Org. Vill.—Leelajhar 2. New Vill.—Pandarithana P.H.No.—69.		47.	1. Org. Vill.—Jhallar 2. New Vill.—Kamthidhana P.H.No.—23.	
40.	1. Org. Vill.—Somalpur 2. New Vill.—Baildhana P.H.No.—43.		48.	1. Org. Vill.—Dhar 2. New Vill.—Harimau P.H.No.—36.	
			49.	1. Org. Vill.—Plaspani 2. New Vill.—Gobargondi P.H.No.—42.	
			50.	1. Org. Vill.—Kordi 2. New Vill.—Pipridhana 3. New Vill.—Golandhana P.H.No.—42.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जून 2013
सूचना

क्र. एफ-1-5-2012-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नवीन तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील रायसेन, गोहरगंज एवं तहसील बाड़ी, जिला रायसेन की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्रमांक	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	गोहरगंज, बाड़ी एवं रायसेन	वर्तमान तहसील गोहरगंज के रा. नि. मं. सुल्तानपुर के प. ह. नं. 62 से 64 एवं 67 से 75 तक कुल 12 पटवारी हल्के एवं तहसील बाड़ी के रा. नि. मं. ईटखेड़ी के प. ह. नं. 01 से 12 तक कुल 12 पटवारी हल्के तथा तहसील रायसेन के रा. नि. मं. साचेत के प. ह. नं. 62 से 64 तक कुल 03 पटवारी हल्के इस प्रकार उक्त 27 पटवारी हल्के जिनमें कुल ग्राम 85 हैं, नवीन प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में —तहसील बाड़ी. पश्चिम में —तहसील गोहरगंज उत्तर में —तहसील रायसेन दक्षिण में —तहसील बुधनी, जिला सीहोर।
2	शेष तहसील गोहरगंज	गोहरगंज	गोहरगंज	वर्तमान तहसील गोहरगंज के रा. नि. मं. सुल्तानपुर के प. ह. नं. 62 से 64 एवं 67 से 75 तक कुल 12 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 63 पटवारी हल्के, जिनमें कुल ग्राम 196 हैं, शेष रहेंगे।	पूर्व में —प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर पश्चिम में —तहसील सीहोर एवं इछावर, जिला सीहोर उत्तर में —तहसील हुजूर जिला भोपाल एवं तहसील रायसेन. दक्षिण में —तहसील रेहटी एवं बुधनी, जिला सीहोर।
3	शेष तहसील बाड़ी	बाड़ी	बाड़ी	वर्तमान तहसील बाड़ी के रा. नि. मं. ईटखेड़ी के प. ह. नं. 01 से 12 तक कुल 12 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 37 पटवारी हल्के, जिनमें कुल ग्राम 92 हैं, शेष रहेंगे।	पूर्व में —तहसील बरेली पश्चिम में —प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर एवं तहसील बुधनी उत्तर में —प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर दक्षिण में —तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद।
4	शेष रायसेन	रायसेन	रायसेन	वर्तमान तहसील रायसेन के रा. नि. मं. साचेत के प. ह. नं. 62 से 64 तक कुल 03 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर कुल 76 पटवारी हल्के, जिनमें कुल ग्राम 225 हैं, शेष रहेंगे।	पूर्व में —तहसील गैरतगंज पश्चिम में —तहसील हुजूर, जिला भोपाल. उत्तर में —तहसील विदिशा, जिला विदिशा. दक्षिण में —प्रस्तावित तहसील सुल्तानपुर।

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव।